

**अध्याय-॥**  
**राज्य के वित्त**



## अध्याय - II राज्य के वित्त

### 2.1 वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में प्रमुख राजकोषीय योगों में हुए प्रमुख परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के मुख्य राजकोषीय योगों में हुए प्रमुख परिवर्तन तालिका 2.1 में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: प्रमुख राजकोषीय योगों में 2022-23 की तुलना में 2023-24 में हुए परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>राज्य की स्व-कर प्राप्तियों में 11.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>राज्य की स्व-कर-भिन्न प्राप्तियों में 5.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश में 18.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>भारत सरकार के सहायता-अनुदान में 10.71 प्रतिशत की गिरावट हुई</li> </ul>
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>राजस्व व्यय में 0.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 0.49 प्रतिशत की गिरावट हुई</li> <li>आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.65 प्रतिशत की गिरावट हुई</li> </ul>
पूंजीगत प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 33.39 प्रतिशत की गिरावट हुई</li> <li>ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों में 68.97 प्रतिशत की गिरावट हुई</li> </ul>
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>पूंजीगत व्यय में 6.62 गिरावट हुई</li> <li>सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 19.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 11.13 गिरावट हुई</li> <li>आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय में 6.37 गिरावट हुई</li> </ul>
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋणों एवं अग्रिमों के संवितरण में 3.27 गिरावट हुई</li> <li>ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 66.90 गिरावट हुई</li> </ul>
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> <li>लोक ऋण प्राप्तियों में 33.39 गिरावट हुई</li> <li>लोक ऋण चुकौती में 22.10 गिरावट हुई</li> </ul>
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> <li>लोक लेखा प्राप्तियों में 4.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई</li> <li>लोक लेखा संवितरण में 0.57 गिरावट हुई</li> </ul>
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> <li>नकद शेष में 57.81 गिरावट हुई</li> </ul>

स्रोत: वित्त लेखे

## 2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग के घटकों की विगत वर्ष के साथ तुलना तालिका 2.2 में दी गई है।

तालिका 2.2: 2022-23 व 2023-24 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग के विवरण


(₹ करोड़ में)

	विवरण	2022-23	2023-24	वृद्धि/ गिरावट
निधियों के स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में अथ नकद शेष	2,522.86	3,556.04	1,033.18
	राजस्व प्राप्तियां	38,089.50	39,173.04	1,083.54
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	12.59	2.20	-10.39
	ऋण व अग्रिम की वसूली	82.79	27.40	-55.39
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	12,236.02	7,005.64	-5,230.38
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	1,176.99	2,204.49	1,027.50
	<b>योग</b>	<b>54,120.75</b>	<b>51,968.81</b>	<b>-2,151.94</b>
निधियों का अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	44,425.26	44,731.63	306.37
	पूंजीगत व्यय	6,028.88	5,629.79	-399.09
	ऋण व अग्रिम का संवितरण	110.57	106.95	-3.62
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंत नकद शेष	3,556.04	1,500.44	-2,055.59
	<b>योग</b>	<b>54,120.75</b>	<b>51,968.81</b>	<b>-2,151.94</b>

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 2.1 एवं 2.2 वर्तमान वर्ष के साथ-साथ विगत वर्षों के दौरान हुई प्राप्ति व संवितरण तथा राज्य की समग्र राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रदान करते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की समेकित निधि में संसाधनों का संघटन एवं अनुप्रयोग चार्ट 2.1 एवं 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

## 2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व (स्व-कर राजस्व सहित संधीय करों व शुल्कों का अंश) कर-भिन्न राजस्व एवं भारत सरकार के सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण व ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियां) में विनिवेशों से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं।

राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही राज्य की समेकित निधि का भाग हैं।


3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** यह कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उंचंत, प्रेषण इत्यादि से सम्बंधित ऐसी प्राप्तियां एवं संवितरण हैं जो समेकित निधि का भाग नहीं होती।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा इनके लिए राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। यहां सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् बची शेष निधि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

### 2.3.1 राज्य की प्राप्तियां


यह परिच्छेद समग्र राजस्व प्राप्तियों के संघटन को प्रस्तुत करता है। पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त लोक लेखा में उपलब्ध निधियां (इससे किए गए निवल संवितरण) को भी सरकार उसके घाटे के वित्तपोषण हेतु उपयोग करती है।

वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियां चार्ट 2.3 में दी गई हैं जबकि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.4: वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन



स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार के ₹ 56,308.64 करोड़ के कुल संसाधनों में से राजस्व प्राप्तियां (₹ 39,173.04 करोड़) 69.57 प्रतिशत थी। पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 14,931.11 करोड़) एवं निवल लोक लेखा प्राप्तियां (₹ 2,204.49 करोड़) कुल संसाधनों का क्रमशः 26.52 प्रतिशत व 3.92 प्रतिशत रही।

## 2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

### 2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं वृद्धि

पांच वर्ष की अवधि (2019-24) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं वृद्धि तालिका 2.3 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व प्राप्तियां	30,742.41	33,438.27	37,309.30	38,089.50	39,173.04
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-0.67	8.77	11.58	2.09	2.84
कर राजस्व (i+ii)	12,301.38	12,837.24	17,063.62	18,479.24	21,210.01
(i) स्व-कर राजस्व	7,623.82	8,083.32	9,714.58	10,595.26	11,835.29
स्व-कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	0.67	6.03	20.18	9.07	11.70
(ii) संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश	4,677.56	4,753.92	7,349.04	7,883.98	9,374.72

मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 13.85	1.63	54.59	7.28	18.91
कर-भिन्न राजस्व	2,501.51	2,188.46	2,612.36	2,876.33	3,020.88
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-11.61	-12.51	19.37	10.10	5.03
भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान	15,939.52	18,412.58	17,633.32	16,733.93	14,942.15
भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.44	15.52	-4.23	-5.10	-10.71
राज्य का स्व-राजस्व (स्व-कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व)	10,125.33	10,271.78	12,326.94	13,471.59	14,856.17
राज्य के स्व-राजस्व की वृद्धि दर (स्व-कर राजस्व + कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	-2.67	1.44	20.01	9.29	10.28
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	1,59,164	1,51,601	1,72,162 <sup>स</sup>	1,91,728 <sup>ब</sup>	2,07,430 <sup>अ</sup>
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.27	-4.75	13.56	11.36	8.19
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.31	22.06	21.67	19.87	18.88
<b>उत्प्लावकता अनुपात</b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता#	--*	--*	0.85	0.18	0.35
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्व-कर उत्प्लावकता	0.09	--*	1.49	0.80	1.43

स्रोत: वित्त लेखे एवं आर्थिक व सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

स - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब - प्रथम संशोधित अनुमान, अ - अग्रिम अनुमान।

# उत्प्लावकता अनुपात मूल चरों के दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय चरों की प्रतिक्रिया की डिग्री को दर्शाता है।

\* उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई क्योंकि राजस्व प्राप्तियां या सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि ऋणात्मक थी।


**तालिका 2.3 निम्नवत् दर्शाती है:**

- राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2019-20 के ₹ 30,742.41 करोड़ से 27.42 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 39,173.04 करोड़ हो गईं तथा यह वृद्धि विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2023-24) के दौरान ₹ 1,083.54 करोड़ (2.84 प्रतिशत) रही। वर्ष 2019-24 की विगत पांच वर्ष की अवधि के दौरान इसमें 4.92 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से वृद्धि हुई।
- वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में स्व-कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व में क्रमशः ₹ 1,240.03 करोड़ (11.70 प्रतिशत) व ₹ 144.55 करोड़ (5.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- विगत पांच वर्षों में स्व-कर राजस्व की औसत वृद्धि दर 9.53 प्रतिशत जबकि कर-भिन्न राजस्व की औसत वृद्धि दर मात्र 2.08 प्रतिशत रही।

- वही दूसरी ओर गत तीन वर्षों में सहायता-अनुदान में घटती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। इसमें विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2021-22 में 4.23 प्रतिशत, वर्ष 2022-23 में 5.10 प्रतिशत एवं वर्ष 2023-24 में 10.71 प्रतिशत की लगातार गिरावट हुई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक एक से नीचे ही रही। चार वर्षों में से दो वर्ष (अर्थात् वर्ष 2021-22 व 2023-24) में स्व-कर राजस्व उत्प्लावकता एक से ऊपर रही।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति चार्ट 2.5 में दर्शाई गई है :


चार्ट 2.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों के संघटन की प्रवृत्ति चार्ट 2.6 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.6: राजस्व प्राप्तियों के संघटन की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्त लेखे


### 2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

#### (i) स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में राज्य वस्तु व सेवा कर, राज्य आबकारी, वाहन कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, माल व यात्री कर इत्यादि समाविष्ट है।

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्ति एवं इसके घटकों का विश्लेषण क्रमशः चार्ट 2.7 व तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.7: 2019-24 के दौरान स्व-कर राजस्व की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राज्य वस्तु व सेवा कर	3,550.34	3,466.58	4,482.15	5,259.21	5,339.89
बिक्री, व्यापार आदि पर कर (मूल्य वर्धित कर)	1,169.53	1,630.11	1,592.24	1,370.29	1,753.73
राज्य आबकारी	1,660.02	1,599.74	1,980.63	2,216.34	2,692.33
वाहन कर	465.52	380.20	510.03	675.17	781.74
स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क	259.58	253.36	318.60	398.75	440.37
विद्युत पर कर व शुल्क	100.86	401.76	393.51	252.25	369.07
भू-राजस्व	4.79	6.95	4.81	8.22	7.03
माल व यात्री कर	104.03	83.55	99.18	68.50	70.88
अन्य कर	309.15	261.07	333.43	346.53	380.25
<b>कुल स्व-कर राजस्व</b>	<b>7,623.82</b>	<b>8,083.32</b>	<b>9,714.58</b>	<b>10,595.26</b>	<b>11,835.29</b>

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2023-24) के दौरान कुल स्व-कर राजस्व में ₹ 1,240.03 करोड़ (11.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। मुख्य वृद्धि राज्य आबकारी (₹ 475.99 करोड़),

बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 383.44 करोड़), विद्युत पर कर व शुल्क (₹ 116.82 करोड़) एवं वाहन कर (₹ 106.57 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में हुई।

वृद्धि के कारण थे -

- राज्य आबकारी - इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से देशी स्पिरिट, विदेशी शराब व स्पिरिट की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।
- बिक्री, व्यापार आदि पर कर- यह मुख्य रूप से मूल्य वर्धित कर के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।
- विद्युत पर कर व शुल्क - यह मुख्य रूप से विद्युत शुल्क से अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।
- वाहन कर - इसमें हुई वृद्धि मुख्य रूप से अधिक संख्या में वाहनों की पंजीयन फीस का एकत्रण एवं टोकन कर की अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

#### **(क) राज्य वस्तु व सेवा कर**

वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक एवं वित्त लेखाओं के अनुसार ₹ 6,263.77 करोड़ के बजट अनुमान के सापेक्ष राज्य वस्तु व सेवा कर राशि ₹ 5,339.89 करोड़ रही।

#### **(ख) वस्तु व सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा**

22 जून 2020 को वस्तु व सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) परिक्षेत्र में पैन-इंडिया डेटा तक एक्सेस प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय से अवगत कराया गया। हिमाचल प्रदेश के मामले में दिसंबर 2020 में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को बैंक-एंड एप्लिकेशन तक एक्सेस दिया गया। हालांकि इस कार्यालय को दिया गया एक्सेस सीमित तथा विभाग के आंतरिक वेब आधारित जीएसटीएन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए वीपीएन कनेक्शन पर आधारित था क्योंकि यह केवल हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (हिमस्वान) के माध्यम से ही एक्सेस किया जा सकता है। जीएसटीएन पोर्टल तक रिमोट एक्सेस का उपयोग वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत निष्पादन/विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा करने के लिए किया जा रहा है।

#### **(ग) राजस्व बकाया एवं निर्धारण बकाया का विश्लेषण**

राजस्व का बकाया सरकार को देय राजस्व की विलंबित वसूली को दर्शाता है। इसी भांति निर्धारण बकाया संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंबित निर्धारण के कारण अवरुद्ध है। दोनों ही राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

**राजस्व बकाया**

31 मार्च 2024 तक राजस्व के प्रधान (मूल) शीर्षों के संबंध में राजस्व का बकाया ₹ 6,289.46 करोड़ था, जिसमें से ₹ 3,126.21 करोड़ (49.71 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसाकि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.5: राजस्व बकाया**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 तक बकाया राशि	31 मार्च 2024 तक पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	006- वस्तु एवं सेवा कर	1,451.75	20.05
2.	0039-राज्य आबकारी	393.25	199.95
3.	0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	4,338.20	2,826.61
4.	0042-यात्री व माल कर	13.41	6.49
5.	0045-अन्य कर व शुल्क	92.84	73.11
<b>योग</b>		<b>6,289.46</b>	<b>3,126.21</b>

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी

**निर्धारण में बकाया**

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर के संदर्भ में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों की संख्या, निर्धारण हेतु लंबित मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले एवं वर्ष की समाप्ति में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या की जानकारी तालिका 2.6 में दर्शाई गई है।

**तालिका 2.6: निर्धारण में बकाया**

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	अथ शेष (मामलों की संख्या)	2023-24 के दौरान निर्धारण हेतु देय नए मामले	देय कुल निर्धारण (मामलों की संख्या)	2023-24 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अंत में बकाया मामले	निपटान का प्रतिशत (कॉलम 6 से 5)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	केन्द्रीय बिक्री कर	20,917	4,723	25,640	10,472	15,168	40.84
		मूल्य वर्धित कर	23,741	4,575	28,316	11,492	16,824	40.58
2.	वस्तु व सेवा कर	0	441	441	281	160	63.72	
3.	वाहन कर	2,160	0	2,160	380	1,780	17.59	
4.	विलासिता कर	1,237	66	1,303	450	853	34.54	
<b>योग</b>		<b>48,055</b>	<b>9,805</b>	<b>57,860</b>	<b>23,075</b>	<b>34,785</b>	<b>39.88</b>	

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निपटान का प्रतिशत 18 से 64 के मध्य रहा।

### विभाग द्वारा पाए गए कर के अपवंचन, प्रतिदाय मामले, इत्यादि का विवरण

पाए गए कर अपवंचन के मामले, अतिमिकृत मामले एवं अतिरिक्त कर की उठाई गई मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय मामलों के निपटान में तत्परता संबंधित विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

वर्ष 2023-24 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पकड़े गए कर अपवंचन के मामलों के विवरण, अतिमिकृत मामलों एवं उठाई गई अतिरिक्त कर की मांग; तथा प्रतिदाय मामलों के विवरण क्रमशः तालिका 2.7 व तालिका 2.8 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.7: पाए गए कर अपवंचन मामले

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2023 तक लंबित मामले	2023-24 के दौरान पाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण की गई व शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2024 तक अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वस्तु एवं सेवा कर	456	3,457	3,913	3,448	130.39	465
2.	राज्य आबकारी	83	855	938	771	1.09	167
3.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	52	225	277	219	17.95	58
4.	यात्री व माल कर	33	483	516	483	0.49	33
5.	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	17	660	677	660	0.58	17
<b>योग</b>		<b>641</b>	<b>5,680</b>	<b>6,321</b>	<b>5,581</b>	<b>150.50</b>	<b>740</b>

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी

तालिका 2.8: प्रतिदाय मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वस्तु व सेवा कर		बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे (31.03.2023 तक)	239	101.47	52	8.00	10	0.16
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे (2023-24)	1,420	487.40	65	8.09	22	0.55
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय (2023-24)	1,240	372.96	67	7.75	13	0.45
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिदाय	285	130.28	41	7.97	2	0.01
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	148	85.64	9	0.38	17	0.26

स्रोत: आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा दी गई जानकारी

**(ii) कर-भिन्न राजस्व**

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश व लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां आदि शामिल हैं। वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटकों की प्रवृत्तियां तालिका 2.9 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ब्याज प्राप्तियां	245.36	306.43	173.95	85.30	126.06
लाभांश व लाभ	248.44	245.43	166.53	180.90	191.17
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	2,007.72	1,636.60	2,271.88	2,610.13	2,703.65
विविध सामान्य सेवाएं	5.17	11.41	14.06	7.45	2.62
शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति	238.59	196.08	257.70	161.78	59.80
वानिकी एवं वन्य जीवन	83.61	49.56	106.28	81.79	89.95
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	49.65	37.05	104.90	90.05	40.50
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	246.30	252.16	230.81	286.34	331.73
विद्युत	1,021.68	749.12	1,183.51	1,428.28	1,667.35
अन्य या विविध	362.72	341.22	374.62	554.44	511.70
<b>कुल कर-भिन्न राजस्व</b>	<b>2,501.51</b>	<b>2,188.46</b>	<b>2,612.36</b>	<b>2,876.33</b>	<b>3,020.88</b>
राजस्व प्राप्तियों से कर-भिन्न राजस्व का प्रतिशत	8.14	6.54	7.00	7.55	7.71

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में कुल कर-भिन्न राजस्व में ₹ 144.55 करोड़ (5.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत (₹ 239.07 करोड़), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 45.39 करोड़) एवं ब्याज प्राप्तियों (₹ 40.76 करोड़), इत्यादि में वृद्धि के कारण हुई। हालांकि यह वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (₹ 101.98 करोड़) एवं अन्य प्रशासनिक सेवाओं (₹ 49.55 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में हुई गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हो गई।

इनके अंतर्गत वृद्धि हुई-

- *विद्युत* - इसका मुख्य कारण सतलुज जल विद्युत निगम से निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी की प्राप्तियों में वृद्धि थी।

जबकि इनके अंतर्गत गिरावट हुई-


- *शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति* - इसका मुख्य कारण सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिपूर्ति की प्राप्ति न होना था।
- *अन्य प्रशासनिक सेवाएं* - इसका मुख्य कारण राज्य चुनाव के दौरान हुए व्यय के लिए चुनाव आयोग से कम प्रतिपूर्ति मिलना था।

### 2.3.2.3 केन्द्रीय अंतरण

केंद्र से किए जाने वाले अंतरणों में मुख्यतः (i) केन्द्रीय करों के अंश, यथा वित्तायोग की अनुशंसानुसार कर हस्तांतरण एवं (ii) केंद्र से अनुदान, यथा वित्तायोग अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार के अंश, इत्यादि शामिल हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति चार्ट 2.8 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.8: केन्द्रीय अंतरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे

केन्द्रीय कर अंतरण अर्थात् संघीय करों व शुल्कों के अंश एवं राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की प्रवृत्ति पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

#### (i) केन्द्रीय करों का अंश

वर्ष 2015-16 से 2023-24 की अवधि के दौरान चौदहवें वित्त आयोग व पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्टों में किए गए प्राक्कलनों की तुलना में राज्य सरकार को वास्तव में जारी संघीय करों व शुल्कों के अंश को तालिका 2.10 में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 2.10: संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश: वित्त आयोग प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के प्राक्कलन	वित्तायोग रिपोर्टों के प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2015-16		4,141	3,611	-530
2016-17	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.713 प्रतिशत एवं बांटने योग्य सेवाकर की	4,778	4,344	-434
2017-18	शुद्ध आय का 0.722 प्रतिशत (14वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	5,521	4,801	-720
2018-19		6,387	5,430	-957
2019-20		7,398	4,678	-2,720

वर्ष	वित्त आयोग के प्राक्कलन	वित्तायोग रिपोर्टों के प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2020-21	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.799 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	6,833	4,754	-2,079
2021-22	सेवाकर सहित बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.830 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	5,466	7,349	1,882
2022-23		6,081	7,884	1,803
2023-24		6,842	9,375	2,533

स्रोत: 14वें वित्तायोग व 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट, वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरणी

केंद्रीय करों व शुल्कों में राज्य सरकार के अंश में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 1,491 करोड़ (18.91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंद्रहवें वित्त आयोग (2020-26) की अवधि के चार वर्षों (2020-24) के दौरान केंद्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश ₹ 29,362 करोड़ था जो चौदहवें वित्त आयोग की अवधि (2015-20) के कुल अंशदान (₹ 22,864 करोड़) से 28.42 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य को प्राप्त केंद्रीय कर अंतरण के संघटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.11 में दी गई है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण के संघटक

(₹ करोड़ में)

केंद्रीय कर अंतरण के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	विगत वर्ष की तुलना में अंतर
केंद्रीय वस्तु व सेवा कर	1,327.34	1,419.55	2,105.41	2,227.15	2,845.13	617.98
निगम कर	1,594.86	1,429.44	2,202.48	2,644.66	2,813.87	169.21
निगम कर के अतिरिक्त आय कर	1,249.68	1,464.84	2,169.83	2,579.80	3,249.67	669.87
सीमा शुल्क	296.49	257.07	510.58	309.82	328.53	18.71
संघ आबकारी शुल्क	206.16	160.44	265.82	97.22	124.32	27.10
सेवा कर	--	19.39	87.35	12.36	1.73	-10.63
अन्य कर <sup>1</sup>	3.03	3.19	7.57	12.97	11.47	-1.50
<b>केंद्रीय कर अंतरण</b>	<b>4,677.56</b>	<b>4,753.92</b>	<b>7,349.04</b>	<b>7,883.98</b>	<b>9,374.72</b>	<b>1,490.74</b>
गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि (+)/ गिरावट (-) का प्रतिशत	(-)13.85	1.63	54.59	7.28	18.91	--
राजस्व प्राप्तियों से केंद्रीय कर अंतरण का प्रतिशत	15.22	14.22	19.70	20.70	23.93	--

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.11 दर्शाती है कि वर्ष 2019-24 की विगत पांच वर्ष की अवधि के दौरान केंद्रीय करों व शुल्कों के राज्यांश में उतार-चढ़ाव का प्रतिशत (-) 13.85 व 54.59 प्रतिशत के मध्य था। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें ₹ 1,490.74 करोड़

<sup>1</sup> इसमें सम्पत्ति कर, आय व व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क सम्मिलित हैं।

(18.91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय करों व शुल्कों का अंश 14 प्रतिशत से 24 प्रतिशत रहा।

## (ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान एवं उसके संघटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.12 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं	4,915.06	4,221.29	5,420.75	4,736.66	5,328.69
वित्तायोग अनुदान*	8,617.82	12,424.10	11,044.26	10,489.70	8,738.16
राज्य/ विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/ अनुदान	2,406.64	1,767.19	1,168.31	1,507.57	875.30
<b>योग</b>	<b>15,939.52</b>	<b>18,412.58</b>	<b>17,633.32</b>	<b>16,733.93</b>	<b>14,942.15</b>
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि/ गिरावट	5.44	15.52	-4.23	-5.10	-10.71
राजस्व प्राप्तियों में सहायता-अनुदान का प्रतिशत	51.85	55.06	47.26	43.93	38.14

(₹ करोड़ में)

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

\* वित्तायोग अनुदानों में हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (₹ 8,058 करोड़), स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (₹ 276.56 करोड़) एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु सहायता-अनुदान (₹ 360.80 करोड़); राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि हेतु सहायता अनुदान (₹ 42.80 करोड़) शामिल हैं।

तालिका 2.12 दर्शाती है कि विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2021-22 (4.23 प्रतिशत), वर्ष 2022-23 (5.10 प्रतिशत) व वर्ष 2023-24 (10.71 प्रतिशत) के दौरान भारत सरकार के सहायता अनुदान में कमी आई। विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान सहायता-अनुदान में हुई गिरावट मुख्यतः हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान के अंतर्गत ₹ 1,319 करोड़ (14.07 प्रतिशत) की उल्लेखनीय गिरावट एवं वस्तु व सेवा कर लागू होने पर हुई राजस्व हानि के लिए राज्य सरकार को ₹ 1,205 करोड़ की क्षतिपूर्ति कम मिलने के कारण हुई। हालांकि राज्यों/विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि से राज्य को दी जाने वाली सहायता के अंतर्गत ₹ 572.99 करोड़ की वृद्धि से यह समायोजित हुई।

## (क) केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान

वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु दिए गए ₹ 5,328.69 करोड़ के अनुदान में से बड़ी राशि निम्न योजनाओं हेतु दी गई :

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - ₹ 617.56 करोड़। गत वर्ष (₹ 624.76 करोड़) की अपेक्षा इसमें ₹ 7.20 करोड़ (1.15 प्रतिशत) की गिरावट हुई।
- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - ₹ 599.98 करोड़। गत वर्ष (₹ 53.36 करोड़) की अपेक्षा इसमें ₹ 546.62 करोड़ (1471.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - ₹ 402.54 करोड़। गत वर्ष (₹ 508.71 करोड़) की अपेक्षा इसमें ₹ 106.18 करोड़ (20.87 प्रतिशत) की गिरावट हुई।

### (ख) एकल नोडल एजेंसी

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 8 दिसंबर 2021 के माध्यम से प्रावधान किया कि प्रत्येक राज्य सरकार को हर केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु एक एकल नोडल एजेंसी नामित करना अपेक्षित है। यह एकल नोडल एजेंसी राज्य स्तर पर प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना हेतु राज्य सरकार के कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एकल नोडल खाता खोलेगी। साथ ही प्रक्रियानुसार राज्य सरकार अपने खातों में प्राप्त केंद्रांश को संगत राज्यांश के साथ संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में स्थानांतरित करेंगी। यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियां अव्ययित समस्त राशि एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस करें।

वर्ष 2023-24 में एकल नोडल एजेंसी-01 कोम्प्रेहेंसिव रिलीज व व्यय रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु ₹ 4,856.54 करोड़ (प्रतिपूर्ति के ₹ 1.95 करोड़, माल के ₹ 19.17 करोड़, कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी ₹ 608.79 करोड़, राज्य कोषागार को ₹ 3,824.29 करोड़ एवं एस्करो एकाउंट (निलम्ब लेखा) में ₹ 402.34 करोड़) प्राप्त हुए। कोषागार द्वारा एकल नोडल एजेंसी को जारी कुल राशि ₹ 3,983.08 करोड़ थी। वर्तमान वर्ष में इन योजनाओं पर हुआ कुल व्यय ₹ 6,048.18 करोड़ था तथा एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹ 1,024.08 करोड़ की अव्ययित राशि रह गई।

### (ग) पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान

राज्यों को स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटे हेतु पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुदान प्रदान किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों के विवरण तालिका 2.13 में दिए गए हैं।

तालिका 2.13: अनुशंसित राशि, वास्तव में जारी एवं अंतरित किए गए सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण	2023-24		
	15वें वित्तयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी	राज्य सरकार द्वारा जारी
1. (i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	332.00	317.42 <sup>@</sup>	317.42
(अ) सामान्य मूल अनुदान (अनटाइड)	132.80	118.94	118.94
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान (टाइड)	199.20	198.48	198.48
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	171.00	157.43 <sup>§</sup>	157.43
(अ) सामान्य मूल अनुदान	68.40	62.97	62.97
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	102.60	94.46	94.46

अंतरण			2023-24		
			15वें वित्तायोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी	राज्य सरकार द्वारा जारी
2.	स्वास्थ्य क्षेत्र को अनुदान		103.14	--	--
3.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	केंद्रांश	360.80	360.80	360.80
		राज्यांश	40.00	--	40.20
		राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु दिए कुल	400.80	360.80	401.00
	राज्य आपदा प्रबंधन निधि	केंद्रांश	90.18	85.60*	85.60*
		राज्यांश	10.02	9.60*	9.60*
		राज्य आपदा प्रबंधन निधि हेतु दिए कुल	100.20	95.20*	95.20*
राज्य आपदा प्रतिक्रिया प्रबंधन निधि हेतु दिए कुल			501.00	408.40	496.20
4.	हस्तांतरण-पश्चात् राज्य घाटा अनुदान		8,058	8,058	--

स्रोत: 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट एवं राज्य सरकार के विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

- @ 2023-24 की ₹ 198.91 करोड़ की राशि की दूसरी किस्त 2024-25 के दौरान जारी करने के कारण वित्त लेखाओं में दर्शाई गई राशि (₹ 118.51 करोड़) इस राशि (₹ 317.42 करोड़) से भिन्न हैं।
- \$ राशि (₹ 157.43 करोड़), वित्त लेखाओं में दर्शाई गई राशि (₹ 158.04 करोड़) से भिन्न हैं, क्योंकि 2022-23 की ₹ 81 करोड़ की दूसरी किस्त भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 को जारी करने के कारण राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान प्राप्त व जारी की गई, तथा 2023-24 की ₹ 81.61 करोड़ की दूसरी किस्त, भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2024 को जारी करने के कारण राज्य सरकार द्वारा 2024-25 के दौरान प्राप्त व जारी की गई थी।
- \* इस राशि में 2023-24 के दौरान प्राप्त ₹ 42.80 करोड़ (केंद्रांश के रूप में) एवं 2022-23 के ₹ 4.80 करोड़ (राज्यांश के रूप में) शामिल हैं।
- पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 332 करोड़ की राशि के प्रति वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 317.42 करोड़ राशि जारी की एवं उतनी ही राशि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इसी अवधि के दौरान जारी की।
- शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में ₹ 171 करोड़ की अनुशंसित राशि के प्रति वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 157.43 करोड़ राशि जारी की एवं उतनी ही राशि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इसी अवधि के दौरान जारी की।
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संदर्भ में 15वें वित्तायोग ने 90:10 के अनुपात में केंद्रांश व राज्यांश की अनुशंसा की। ₹ 360.80 करोड़ के अनुशंसित अंश के सापेक्ष वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 360.80 करोड़ एवं राज्य ने ₹ 401 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 360.80 करोड़ व राज्यांश ₹ 40.20 करोड़) जारी किए।

### 2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से आय, ऋण व अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम आते हैं।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों एवं उसके घटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.14 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.14: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
<b>पूंजीगत प्राप्तियां (i+ii+iii)</b>	<b>4,169.72</b>	<b>3,917.07*</b>	<b>2,300.21*</b>	<b>12,331.41</b>	<b>7,035.23</b>
(i) विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.04	2.88	7.01	12.59	2.20
(ii) ऋण व अग्रिम की वसूली	21.04	23.02	40.73	82.79	27.40
(iii) निवल लोक ऋण प्राप्तियां	4,146.64	3,891.17*	2,252.47*	12,236.02	7,005.64
- आंतरिक ऋण	4,164.59	3,390.44	1,457.82	11,599.12	5,464.12
वृद्धि दर (प्रतिशत)	135.06	-18.59	-57.00	695.65	-52.89
- भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	-17.95	500.73*	794.65*	636.90	1,541.52
वृद्धि दर (प्रतिशत)	-1.64	2,889.56	58.70	-19.85	142.03
निवल लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) (iii)	136.40	-6.16	-42.11	443.23	-42.75
ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत) (i)+(ii)	-24.70	12.22	84.29	99.83	-68.98
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	133.64	6.06	-41.28	436.10	-42.95
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.27	-4.75	13.56	11.36	8.19

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखों।

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं 2021-22 के दौरान ₹ 2,695.22 करोड़ शामिल नहीं हैं।

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निवल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में ₹ 10,141.31 करोड़ (695.65 प्रतिशत) की अचानक वृद्धि हुई। परन्तु इस वर्ष निवल आंतरिक ऋण गत वर्ष के ₹ 11,599.12 करोड़ की तुलना में गिर कर ₹ 5,464.12 करोड़ रह गया तथा वर्ष 2023-24 में निवल लोक ऋण प्राप्तियां 42.75 प्रतिशत (₹ 5,230.38 करोड़) घट गईं।

### 2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन उसके स्वयं के संसाधनों, जिसमें स्व-कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं, के सन्दर्भ में किया जाता है।

पंद्रहवें वित्तायोग व बजट अनुमान/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी द्वारा किए गए प्राक्कलनों की तुलना में वर्ष 2023-24 में राज्य का वास्तविक स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15: 2023-24 के दौरान प्राक्कलनों की तुलना में कर व कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

संघटक	15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन	वास्तविक	वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता	
				15वें वित्तायोग के प्राक्कलन से	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन से
स्व कर राजस्व	12,783	13,025.97	11,835.29	-7.41	-9.14
कर-भिन्न राजस्व	4,896	3,447.20	3,020.88	-38.30	-12.36

स्रोत: वित्त लेखे व बजट दस्तावेज़

राज्य सरकार का वास्तविक स्व-कर राजस्व पंद्रहवें वित्तायोग के प्राक्कलनों एवं बजट अनुमानों से क्रमशः 7.41 प्रतिशत व 9.14 प्रतिशत घट गया। कर-भिन्न राजस्व की वास्तविक प्राप्तियां भी 15वें वित्त आयोग एवं बजट अनुमानों से क्रमशः 38.30 प्रतिशत व 12.36 प्रतिशत कम रही।

## 2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर इस प्रकार व्यय करने का ज़िम्मा सौंपा गया है कि राज्यों की सतत राजकोषीय सुधार/समेकन प्रक्रिया विकास के लिए किए जाने वाले व्यय के मूल्य पर न हो। व्यय की वृद्धि एवं संघटन, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय एवं स्थानीय निकायों व अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता के संबंध में संसाधनों के अनुप्रयोग का विश्लेषण अनुवर्ती परिच्छेदों में किया गया है।

### व्यय की वृद्धि एवं संघटन

**राजस्व व्यय:** रखरखाव, मरम्मत प्रभार, चलायमान व कार्य करने पर खर्च जो परिसंपत्तियों को चलायमान क्रम में बनाए रखने हेतु आवश्यक है, साथ ही स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन को दिन-प्रति-दिन चलाने हेतु अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

**पूंजीगत व्यय:** परियोजना के प्रथम निर्माण के सभी प्रभार, साथ ही परियोजना परिचालित होने के दौरान के मध्यावधि रखरखाव के प्रभार तथा ऐसे अतिरिक्त आवर्धन एवं संशोधन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संस्वीकृत किए जा सकते हैं, वे प्रभार भी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

**ऋण एवं अग्रिम:** सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य पार्टियों को दिए गए ऋण व अग्रिम।

समग्र व्यय एवं उसके घटकों की प्रवृत्ति तालिका 2.16 व चार्ट 2.9 में दर्शाई गई हैं।


तालिका 2.16: कुल व्यय एवं उसके संघटक

(₹ करोड़ में)

मानदंड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	36,362.55	39,164.26	42,601.89	50,564.71	50,468.37
राजस्व व्यय	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26	44,731.63
पूँजीगत व्यय	5,173.91	5,309.21	6,029.38	6,028.88	5,629.79
संवितरित ऋण व अग्रिम	458.21	320.12	377.97	110.57	106.95
वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,59,164	1,51,601	1,72,162 <sup>अ</sup>	1,91,728 <sup>ब</sup>	2,07,430 <sup>स</sup>
<b>सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में</b>					
कुल व्यय	22.85	25.83	24.75	26.37	24.33
राजस्व व्यय	19.31	22.12	21.02	23.17	21.56
पूँजीगत व्यय	3.25	3.50	3.50	3.14	2.71
ऋण व अग्रिम	0.29	0.21	0.22	0.06	0.05

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

चार्ट 2.9: कुल व्यय: इसके संघटकों के अंश की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)



तालिका 2.16 दर्शाती है कि कुल व्यय वर्ष 2019-20 के ₹ 36,362.55 करोड़ से ₹ 14,105.82 करोड़ (38.79 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 50,468.37 करोड़ हो गया, जो पांच वर्षों की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 22.85 प्रतिशत से 26.37 प्रतिशत के मध्य रहा। चार्ट 2.9 दर्शाता है कि राजस्व व्यय कुल व्यय का बड़ा भाग (85 से 89 प्रतिशत) था। दूसरी ओर पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 11 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के मध्य था।

वर्ष 2019-24 के दौरान व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षित अंश तालिका 2.17 व चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षिक अंश


(₹ करोड़ में)

मानदण्ड	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सामान्य सेवाएं	12,538.94	13,623.80	14,289.39	18,060.65	19,503.14
सामाजिक सेवाएं	13,305.36	14,580.00	15,807.72	19,370.51	19,066.53
आर्थिक सेवाएं	10,049.77	10,630.97	12,119.10	13,016.89	11,791.75
स्थानीय निकायों को अनुदान	10.27	9.37	7.71	6.09	0.00
ऋण व अग्रिम	458.21	320.12	377.97	110.57	106.95

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.10: कुल व्यय- गतिविधियों से व्यय

(प्रतिशत में)




स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.10 दर्शाता है कि वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान कुल व्यय में व्यय के विभिन्न घटकों के सापेक्षित अंश में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही। कुल व्यय में सामान्य सेवाओं व सामाजिक सेवाओं का अंश वर्ष 2019-20 के क्रमशः 34.48 प्रतिशत व 36.59 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में क्रमशः 38.64 प्रतिशत व 37.78 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि में आर्थिक सेवाओं का प्रतिशत 27.64 से घटकर 23.36 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 2.11 कार्य के आधार पर व्यय का संघटक दर्शाता है।

चार्ट 2.11: 2023-24 के दौरान कार्यानुसार व्यय के संघटक (प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

### 2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पिछली देयताओं के भुगतान एवं वर्तमान सेवाओं के स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वैसे तो यह राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं करता। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से उसका अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में इसकी वृद्धि दर तालिका 2.18 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.18: 2019-24 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल व्यय	36,362.55	39,164.25	42,601.89	50,564.72	50,468.37
राजस्व व्यय	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26	44,731.63
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	4.38	9.13	7.93	22.74	0.69
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	84.51	85.63	84.96	87.86	88.63
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.31	22.12	21.02	23.17	21.56
राजस्व प्राप्तियां	30,742.41	33,438.27	37,309.30	38,089.50	39,173.04
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-0.67	8.77	11.58	2.09	2.84
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.31	22.06	21.67	19.87	18.88
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	99.96	100.29	97.01	116.63	114.19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,59,164.	1,51,601	1,72,162 <sup>अ</sup>	1,91,728 <sup>ब</sup>	2,07,430 <sup>स</sup>
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.27	-4.75	13.56	11.36	8.19
<b>राजस्व व्यय की उत्प्लावकता</b>					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.60	--*	0.58	2.00	0.08
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	--*	1.04	0.69	10.88	0.24
स्व-कर राजस्व (अनुपात)	6.54	1.51	0.39	2.51	0.06

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

\* सकल राज्य घरेलू उत्पाद/राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि ऋणात्मक होने के कारण उत्प्लावकता अनुपात की गणना नहीं की गई।

विगत वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वर्ष 2019-24 के दौरान ₹ 14,001.20 करोड़ (45.56 प्रतिशत) एवं वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 306.37 करोड़ (0.69 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वही दूसरी ओर वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ₹ 8,430.63 करोड़ (27.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2023-24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 18.88 प्रतिशत रहा जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व व्यय का प्रतिशत 21.56 प्रतिशत रहा।


राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात जिसमें वर्ष 2021-22 (0.69) के दौरान सुधार हुआ था वह वर्ष 2022-23 (10.88) के दौरान बिगड़ गया था, जिसका मुख्य कारण वेतन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण राजस्व व्यय में वृद्धि थी। परन्तु इस वर्ष 2023-24 में इसमें पुनः सुधार (0.24 प्रतिशत) हुआ। वही दूसरी ओर राज्य के स्व-कर राजस्व के संदर्भ में राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात वर्ष 2022-23 (2.51) को छोड़कर लगातार घटकर वर्ष 2019-20 में 6.54 व वर्ष 2023-24 में 0.06 हो गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान हुआ ₹ 44,731.63 करोड़ का राजस्व व्यय राज्य द्वारा उनके बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 42,704 करोड़) तथा 15वें वित्तायोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 34,033 करोड़) से अधिक था।

वर्ष 2023-24 के दौरान हुए राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण चार्ट 2.12 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे

### 2.4.1.1 राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण परिवर्तन

वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय वर्ष 2021-22 के ₹ 36,194.54 करोड़ से ₹ 8,230.72 करोड़ (22.74 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ₹ 44,425.26 करोड़ हो गया। हालांकि वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 306.37 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में मुख्य लेखा शीर्षों के तहत हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तालिका 2.19 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.19: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण विचलन  
(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2023-24	2022-23	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
2049-ब्याज भुगतान	5,648.37	4,828.64	819.73
2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10,055.85	9,283.87	771.98
2245- प्राकृतिक आपदाओं पर राहत	1,283.50	685.86	597.64
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2,063.58	1,870.56	193.02
3055-सड़क परिवहन	746.83	562.53	184.30
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	633.79	1,168.98	-535.19
2202- सामान्य शिक्षा	7,949.26	8,459.54	-510.27
2401-फ़सल पालन	680.83	896.39	-215.56
2211-परिवार कल्याण	476.90	626.89	-149.99
2408-खाद्य, भंडारण व भण्डार	231.82	379.38	-147.56
2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2,428.82	2,534.58	-105.76
2505- ग्रामीण रोजगार	537.99	643.66	-105.67

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.19 दर्शाती है:

- 'पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ' के तहत ₹ 771.98 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से 'अधिवर्षिता व सेवानिवृत्ति भत्ते' में ₹ 1,182.70 करोड़, 'पेंशन के परिवर्तित मूल्य' में ₹ 235.13 करोड़, 'पारिवारिक पेंशन' में ₹ 244.63 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जो कि हिमाचल प्रदेश द्वारा पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के कारण 'सीमित अंशदान हेतु सरकारी अंशदान' में ₹ 939.50 करोड़ की कमी से समायोजित हुई।
- 'ब्याज भुगतान' के तहत ₹ 819.73 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से विगत वर्ष (2022-23) में राज्य सरकार द्वारा उसके खर्चों की पूर्ति हेतु बाजार से भारी मात्रा में ऋण लेने पर 'बाजार ऋण पर ब्याज' में ₹ 819.63 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 'प्राकृतिक आपदाओं से राहत' के अंतर्गत ₹ 597.64 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से

- 'क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार' में ₹ 238.39 करोड़ की वृद्धि तथा 'क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकासी व सीवरेज कार्य का मरम्मत एवं जीर्णोद्धार' में ₹ 203.01 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- 'अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों' में हुई ₹ 535.19 करोड़ की गिरावट मुख्य रूप से 'ग्राम पंचायतों को सहायता' में ₹ 256.72 करोड़ एवं 'जिला परिषदों को सहायता' में ₹ 131.83 करोड़ की कमी के कारण हुई।
- 'सामान्य शिक्षा' में हुई ₹ 510.27 करोड़ की कमी 'सरकारी प्राथमिक विद्यालयों' में ₹ 366.52 करोड़ एवं 'सरकारी माध्यमिक विद्यालयों' में ₹ 301.89 करोड़ की कमी के कारण हुई, जो 'समग्र शिक्षा' में ₹ 102.30 करोड़ की वृद्धि से आंशिक रूप से समायोजित हुई।

#### 2.4.1.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखाओं पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, तथा पेंशन शामिल होते हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार होता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनम्य व्यय की कुछ मर्दे हैं जिन्हें सामान्यतः परिवर्तित या बदला नहीं जा सकता है अथवा सांविधिक रूप से वार्षिक आधार पर अपेक्षित है न कि परिवर्तनीय लेन-देन जैसे पूंजीगत व्यय आदि के लिए। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मर्दों को अनम्य व्यय के रूप में माना जा सकता है:

- (i) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण - वेतन एवं भत्तों हेतु स्थानीय निकायों को सांविधिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय हेतु हस्तांतरण/अंतरण)।
- (ii) आरक्षित निधियों में अंशदान की सांविधिक आवश्यकताएं - समेकित ऋण शोधन निधि, प्रत्याभूति विमोच्य निधि, राज्य आपदा न्यूनीकरण/प्रतिक्रिया निधि आदि में अंशदान।
- (iii) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति - वर्ष के भीतर प्रतिपूर्ति राशि।
- (iv) आरक्षित निधि/अन्य निकाय में उपकर का अंतरण, जिसकी सांविधिक आवश्यकता है।
- (v) प्राप्त केन्द्रीय निधि के प्रति केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश - राज्यांश की राशि एकल नोडल एजेंसी को हस्तांतरित की जाएगी/राज्य द्वारा खर्च की जाएगी।
- (vi) सब्याज निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान जिसे निवेश किया जा सकता था तथा प्रभारित व्यय के रूप में लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान- ब्याज भुगतान।

प्रतिबद्ध व्यय में आरोही प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र हेतु लचीलापन कम हो जाता है। प्रतिबद्ध व अनम्य व्यय एवं उसके संघटकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण तालिका 2.20 में दर्शाया गया है तथा राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध व अनम्य व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन एवं मजदूरी	11,742.23	11,903.67	12,192.52	15,850.87	15,352.58*
पेंशन पर व्यय	5,489.75	6,088.39	6,398.91	9,283.87	9,212.64
ब्याज भुगतान	4,234.02	4,472.45	4,640.79	4,828.64	5,648.37
<b>योग</b>	<b>21,466.00</b>	<b>22,464.51</b>	<b>23,232.22</b>	<b>29,963.38</b>	<b>30,213.59</b>
<b>राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	38.20	35.60	32.68	41.61	39.19
पेंशन पर व्यय	17.86	18.21	17.15	24.37	23.52
ब्याज भुगतान	13.77	13.38	12.44	12.68	14.42
<b>योग</b>	<b>69.83</b>	<b>67.19</b>	<b>62.27</b>	<b>78.67</b>	<b>77.13</b>
<b>राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में</b>					
वेतन एवं मजदूरी	38.21	35.50	33.69	35.68	34.32
पेंशन पर व्यय	17.86	18.16	17.68	20.90	20.60
ब्याज भुगतान	13.78	13.34	12.82	10.87	12.63
<b>योग</b>	<b>69.85</b>	<b>66.99</b>	<b>64.19</b>	<b>67.45</b>	<b>67.54</b>
अप्रतिबद्ध राजस्व व्यय	9,264.43	11,070.42	12,962.32	14,461.88	14,518.04
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	30.15	33.01	35.81	32.55	32.46
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	25.48	28.27	30.43	28.60	28.77
<b>अनम्य व्यय के घटक</b>					
स्थानीय निकायों को सांविधिक हस्तांतरण	882.52	1,046.42	858.21	1,223.85	1,309.76
आरक्षित निधि में अंशदान	28.70	45.00	35.80	38.40	40.20
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	0	0	0	0	0
आरक्षित निधि/अन्य निकाय को उपकर का स्थानांतरण	116.53	105.71	132.16	174.94	199.84
प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंश का अंशदान	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	580.09	578.73	487.62
सब्याज निधियों के शेष पर ब्याज का भुगतान जिसे निवेश किया जा सकता था तथा प्रभारित व्यय के रूप में लोक ऋण पर ब्याज का भुगतान- ब्याज भुगतान	अनुपलब्ध	0.06	0.47	3.73	11.36
<b>कुल अनम्य व्यय</b>	<b>1,027.75</b>	<b>1,197.19</b>	<b>1,606.73</b>	<b>2,019.65</b>	<b>2,048.78</b>
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय	3.34	3.57	4.44	4.55	4.58
सब्सिडी	1,067.78	1,240.63	1,187.99	1,973.32	1,768.35
अप्रतिबद्ध व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	11.53	11.21	9.16	13.64	12.18

\*वेतन: ₹ 15,046.97 करोड़, मजदूरी: ₹ 305.61 करोड़


स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, पीएफएमएस एवं राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी।

तालिका 2.20 दर्शाती है कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में लगातार वृद्धि हुई। विगत वर्ष (2021-22) की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 6,731.16 करोड़ (28.97 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। परन्तु विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2023-24) में प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 250.21 करोड़ (0.84 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान वेतन, मजदूरी व पेंशन में क्रमशः ₹ 498.29 करोड़ व ₹ 71.23 करोड़

की गिरावट हुई। वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में 64 से 70 प्रतिशत एवं राजस्व प्राप्तियों में 62 से 79 प्रतिशत के मध्य तक का बड़ा हिस्सा रहा। राजस्व व्यय व राजस्व प्राप्तियों से प्रतिबद्ध व्यय एवं सब्सिडी का बड़ा हिस्सा होने से विकास गतिविधियों हेतु राज्य सरकार के पास कम लचीलापन रहता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2019-24 के दौरान राजस्व व्यय में अप्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत 30 प्रतिशत से 36 प्रतिशत के बीच अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान अप्रतिबद्ध व्यय में सब्सिडी का अनुपात नौ प्रतिशत से लेकर 14 प्रतिशत तक था।

**चार्ट 2.13: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश**



### वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2019-20 के ₹ 11,742.23 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 15,352.58 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें ₹ 498.29 करोड़ (3.14 प्रतिशत) की गिरावट हुई जो राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 39.19 प्रतिशत व राजस्व व्यय का 34.32 प्रतिशत रहा। विगत वर्ष (2022-23) के दौरान वेतन एवं मजदूरी में हुई उल्लेखनीय वृद्धि मुख्यतः दिनांक 01.01.2016 से लागू छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कारण वेतनमान, पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं बकाया संशोधित होने के कारण हुई। इस वर्ष कर्मचारियों को बकाया का भुगतान नहीं किया गया। इसके कारण वेतन व पेंशन में आई कमी ने राज्य सरकार पर आगामी वर्षों के लिए देयता स्थानांतरित कर दी। वेतन पर व्यय (₹ 15,352.58 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 14,099.52 करोड़) में बनाए गए प्राक्कलनों से काफी अधिक रहा।

### ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान वर्ष 2019-20 के ₹ 4,234.02 करोड़ से 33.40 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 5,648.37 करोड़ हो गया एवं विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में ₹ 819.73 करोड़ (16.98 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्तियों का 14.42 प्रतिशत एवं राजस्व

व्यय का 12.63 प्रतिशत व्यय हुआ। बाजार ऋण (₹ 3,491.09 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि पर ब्याज (₹ 1,284.16 करोड़) ब्याज भुगतान के प्रमुख घटक बने रहे। ब्याज भुगतान मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 5,562.01 करोड़) से थोड़ा अधिक रहा।

## पेंशन

राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय वर्ष 2019-20 के ₹ 5,489.75 करोड़ से 67.82 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 9,212.64 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें ₹ 71.23 करोड़ (0.77 प्रतिशत) की कमी आई। वर्तमान वर्ष में पेंशन भुगतान पर व्यय (₹ 9,212.64 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलित व्यय (₹ 7,709.19 करोड़) से काफी अधिक रहा।

### (i) राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न करना

15 मई 2003 से या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं जो एक सीमित (परिभाषित) अंशदान योजना है। इस योजना की शर्तों में कर्मचारी उनके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से 10 प्रतिशत की भागीदारी करते हैं तथा राज्य सरकार मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत (1 अप्रैल 2019 से प्रभावी) का अंशदान करती है; तथा सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए मुख्य शीर्ष-2071-लघु शीर्ष 117 के अंतर्गत सरकार का अंशदान ₹ 93.73 करोड़ एवं कर्मचारी का अंशदान ₹ 66.33 करोड़ था। इसमें एआईएस (अखिल भारतीय सेवा) अधिकारियों का अंशदान भी शामिल था। सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 सीमित अंशदान पेंशन योजना<sup>2</sup> के अंतर्गत लोक लेखा में ₹ 159.90 करोड़ (कर्मचारी अंश ₹ 66.33 करोड़ व सरकार का अंश ₹ 93.57 करोड़) हस्तांतरित किए। सीमित अंशदान पेंशन योजना में मुख्य शीर्ष-8342-117 (₹ 93.57 करोड़) के तहत दर्शाया गया सरकारी अंशदान मुख्य शीर्ष 2071-01-117 (₹ 93.73 करोड़) के अंतर्गत दर्शाई गई राशि से भिन्न है, क्योंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त अभिदाताओं (सब्सक्राइबर) को गत माह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान का सीधा भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शेष राशि के विलंबित हस्तांतरण पर सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) ग्राहकों पर प्रयोज्य ब्याज दरों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अतः राज्य सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड को हस्तांतरित

<sup>2</sup> स्रोत: वित्त लेखा 2023-24 की टिप्पणियों का परिच्छेद 5(i)

नहीं की गई राशि (वित्त लेखाओं के अनुसार 1 अप्रैल 2023 को ₹ 17.39 करोड़) पर ₹ 1.19 करोड़ (जीपीएफ को देय ब्याज के अनुसार 7.10 प्रतिशत की दर परिकल्पित ब्याज) की ब्याज देयता सृजित की। यह राजस्व अधिशेष व राजकोषीय घाटे की इस सीमा तक न्यूनोक्ति में भी परिणत हुआ, जैसाकि परिच्छेद 1.6 में टिप्पणी की गई है।

राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारी अंश की प्राप्तियों, सरकारी अंशदान, उस पर अर्जित ब्याज एवं पांच वर्ष की पेंशन निधि में निवेश का विवरण तालिका 2.21 में दिया गया है।

**तालिका 2.21: सीमित अंशदान पेंशन प्रणाली के तहत हुए अंशदान व निवेश का विवरण (अवधि 2019-20 से 2023-24)**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्ति			संवितरण (पेंशन निधि में हस्तांतरित)	अल्प हस्तांतरण(-)/ अधिक हस्तांतरण(+)	
	कर्मचारी अंश	सरकारी अंशदान	ब्याज कुल			
1.	2.	3.	4.	5. (2+3+4)	6.	7.=6-5
2019-20	348.72	471.30	कर्मचारी व नियोक्ता का अंशदान सीआरए-नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड निवेशित करती है एवं निवेश में कोई ब्याज घटक नहीं है क्योंकि निवेश पर एनएवी है।	820.02	820.02	-निरंक-
2020-21	395.86	552.00		947.86	947.86	
2021-22	470.26	655.99		1,126.25	1,126.25	
2022-23	746.10	1,033.09		1,779.19	1,779.19	
2023-24	67.10	93.59		160.69	160.59	

स्रोत: राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी

यद्यपि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या एफआईएन (पेन) ए (3)-1/2023, दिनांक 04.05.2023 के तहत 01.04.2023 से सीमित अंशदान आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वापस ले कर पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, जो निश्चित लाभ प्रदान करती है।

इस संदर्भ में राज्य सरकार ने सूचित किया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के कारण राज्य के खजाने पर पड़ने वाले प्रत्याशित वित्तीय प्रभाव एवं राजकोषीय बोझ/देयता के निपटानार्थ कोई पृथक पेंशन निधि नहीं बनाई गई है। इसकी पूर्ति राज्य के अपने संसाधनों से की जाएगी तथा भारत सरकार/पीएफआरडीए के पास रखे अंश का उपयोग भी भविष्य की पेंशन देयताओं की आंशिक पूर्ति हेतु किया जाएगा।

#### अनम्य व्यय

अनम्य व्यय के संघटक, जिसमें स्थानीय निकायों को दिए गए सांविधिक हस्तांतरण एवं आरक्षित निधि में अंशदान शामिल है, उनमें वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान

निरंतर वृद्धि देखी गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में अनम्य व्यय 3.34 प्रतिशत से बढ़कर 4.58 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के दौरान अनम्य व्यय (₹ 2,048.78 करोड़) में विगत वर्ष (₹ 2,019.65 करोड़) की तुलना में 1.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### 2.4.1.3 सब्सिडी

तालिका 2.22 वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान सब्सिडी पर व्यय को दर्शाती है। विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान सब्सिडी में ₹ 204.97 करोड़ (10.39 प्रतिशत) की गिरावट हुई। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य एवं आपूर्ति तथा विद्युत परियोजनाओं को दी जाने वाली सब्सिडी में क्रमशः ₹ 126.30 करोड़ तथा ₹ 110.74 करोड़ की कमी के कारण हुई।

तालिका 2.22: 2019-24 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	1,067.78	1,240.63	1,187.99	1,973.32	1,768.35
विद्युत पर सब्सिडी (₹ करोड़ में)	400.00	520.45	419.99	1,044.03	933.29
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.47	3.71	3.18	5.18	4.51
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.47	3.70	3.28	4.44	3.95
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	2.94	3.17	2.79	3.90	3.50
राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	*	1,283.50	*	31.15	31.81
कुल सब्सिडी के प्रतिशत के रूप में विद्युत सब्सिडी	37.46	41.95	35.35	52.91	52.78

स्रोत: वित्त लेखे

\* राज्य के पास राजस्व अधिशेष होने के कारण गणना नहीं की गई।

पांच वर्ष की अवधि (2019-20 से 2023-24) के दौरान विद्युत सब्सिडी 35.35 प्रतिशत से 52.91 प्रतिशत के मध्य रही जो कुल सब्सिडी का बड़ा हिस्सा थी। वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व घाटे में कुल सब्सिडी का योगदान 31.81 प्रतिशत रहा।

### 2.4.1.4 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों व अन्य संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से प्रदत्त सहायता तालिका 2.23 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.23: स्थानीय निकायों व अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
<b>स्थानीय निकाय</b>					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	456.22	814.58	800.71	903.04	970.76
पंचायती राज संस्थाएं	1,053.39	1,176.07	1,148.28	1,753.44	1,193.24
<b>कुल (क)</b>	<b>1,509.61</b>	<b>1,990.65</b>	<b>1,948.99</b>	<b>2,656.48</b>	<b>2,164.00</b>
<b>अन्य</b>					
शिक्षा संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	1,020.83	944.59	1,031.74	1,157.21	1,208.67
विकास प्राधिकरण	99.16	238.37	331.69	330.42	337.65
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	439.71	458.23	673.60	671.32	446.70
अन्य संस्थान	437.17	931.27	994.78	1031.51	935.19
<b>कुल (ख)</b>	<b>1,996.87</b>	<b>2,572.46</b>	<b>3,031.81</b>	<b>3,190.46</b>	<b>2,928.21</b>
<b>कुल (क+ख)</b>	<b>3,506.48</b>	<b>4,563.11</b>	<b>4,980.80</b>	<b>5,846.94</b>	<b>5,092.21</b>
वेतन पर सहायता-अनुदान	1,324.53	1,507.74	1,687.79	1,736.31	1,771.45
पूंजीगत संपत्तियों के सृजन पर सहायता-अनुदान	844.73	1,039.73	833.26	1,376.62	911.05
अवैतनिक पर सहायता-अनुदान	1,337.25	2,015.70	2,459.75	2,734.01	2,409.71
वस्तु रूप में दिया गया सहायता-अनुदान	राज्य सरकार द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई				
राजस्व व्यय	30,730.43	33,534.93	36,194.54	44,425.26	44,731.63
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता	11.41	13.61	13.76	13.16	11.38

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी

वर्तमान वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता विगत वर्ष की तुलना में ₹ 754.73 करोड़ (12.91 प्रतिशत) कम रही। यह कमी मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं (₹ 560.20 करोड़: 31.95 प्रतिशत), अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं (₹ 224.62 करोड़: 33.46 प्रतिशत) को दी जाने वाली सहायता में कमी के कारण हुई।

वर्ष 2023-24 के दौरान वेतन के उद्देश्यार्थ दी गई वित्तीय सहायता में वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन एवं अवैतनिक उद्देश्यार्थ दी गई सहायता गत वर्ष की तुलना में कम हो गई। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजनार्थ दिए गए सहायता-अनुदान में ₹ 465.57 करोड़ (33.82 प्रतिशत) की तथा अवैतनिक सहायता-अनुदान में ₹ 324.30 करोड़ (11.86 प्रतिशत) की गिरावट हुई।

वित्तीय सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता तालिका 2.24 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.24: वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय सहायता के प्रमुख प्राप्तकर्ता


(₹ करोड़ में)

प्राप्तकर्ता	योजना का नाम	राशि
2202-निदेशक, उच्च शिक्षा, शिमला	सर्व शिक्षा अभियान	609.21
2505-ग्रामीण रोजगार	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	511.45
3055-सड़क परिवहन	परिवहन सेवाओं के लिए सहायता	320.55
2211-परिवार कल्याण	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रावधान	271.18
2217-शहरी विकास	नगर निगम शिमला को अनुदान	160.06
2202-वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी	हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को सहायता-अनुदान	152.20
2217-शहरी विकास	स्मार्ट सिटी मिशन शिमला	149.50
2415- कृषि एवं अनुसंधान शिक्षा	डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय सोलन को सहायता-अनुदान	134.84
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	120.00
2216-आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	115.80

### 2.4.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसी अचल बुनियादी संपत्तियों के निर्माण पर हुआ व्यय है। केंद्र व राज्य दोनों में पूंजीगत व्यय की पूर्ति बजटीय सहायता एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों/बजट से इतर उधारी से की जा रही है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कंपनियों/निगमों में किया गया निवेश भी शामिल है। विगत पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-24 में राज्य के पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट 2.14 में दी गई है।

चार्ट 2.14: 2019-24 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट 2.14 दर्शाता है कि विगत पांच वर्षों की अवधि में पूंजीगत व्यय में उतार-चढ़ाव रहा। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान इसमें ₹ 399.10 करोड़ (6.62 प्रतिशत) की गिरावट हुई। विगत दो वर्षों में पूंजीगत व्यय में न केवल निरपेक्ष रूप से बल्कि कुल व्यय के अनुपात में भी गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। गिरावट की यह प्रवृत्ति भविष्य की आर्थिक वृद्धि के

लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। पांच वर्ष की विगत अवधि (2019-24) में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का मात्र 11 प्रतिशत से 14 प्रतिशत रहा।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों के निर्माणार्थ ₹ 5,005.39 करोड़ का सहायता-अनुदान भी दिया, जिसे राजस्व व्यय का हिस्सा माना गया है (जैसाकि तालिका 2.23 में दर्शाया गया है)।

#### 2.4.2.1 पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन तालिका 2.25 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.25: 2022-23 की तुलना में 2023-24 के दौरान पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2022-23	2023-24	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
5053- नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	21.68	315.82	294.14
4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	812.04	1,022.97	210.93
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	411.24	300.30	-110.94
5054- सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	2,178.22	2,065.12	-113.10
4851- ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	198.28	72.09	-126.19
4210- चिकित्सा व जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	551.64	295.67	-255.97

- विगत वर्ष की तुलना में नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय में हुई वृद्धि मुख्य रूप से 'एयरोड्रोम' के तहत ₹ 193.40 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय में हुई वृद्धि मुख्य रूप से 'विभिन्न जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं' के अंतर्गत ₹ 155.20 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में चिकित्सा व जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय में हुई गिरावट मुख्य रूप से 'एलोपैथी' के अंतर्गत ₹ 203.77 करोड़ की कमी के कारण हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में ग्राम व लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय में हुई गिरावट मुख्य रूप से 'अन्य व्यय' में ₹ 111.86 करोड़ की कमी के कारण हुई।

#### 2.4.2.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह प्रभाग वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

##### (i) कंपनियों, निगमों व अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

घाटे में चल रही एवं पूर्ण समाप्त नेटवर्थ वाली कंपनियों तथा निगमों में दिए गए निवेश व दिए गए ऋण पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में

निवेशित शेयर पूंजी में निवेश पर प्रतिफल एवं विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों की अदायगी का वृत्तांत पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं।

नवीनतम वित्तीय लेखाओं के अनुसार वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर राज्य के 28 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुल प्रदत्त पूंजी ₹ 5,899.78 करोड़ थी, जिसमें राज्य सरकार का निवेश (इक्विटी) ₹ 4,140.62 करोड़ (70.18 प्रतिशत) (परिशिष्ट 2.3) था।

राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यथा एक निष्क्रिय व एक परिसमापनाधीन को छोड़कर), जिनमें राज्य सरकार के ₹ 4,038.33 करोड़ निदेशित थे, का सकल संचित घाटा ₹ 6,454.47 करोड़ (परिशिष्ट 2.4) था।

राज्य के उपरोक्त 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो कर ऋणात्मक हो गया था। 31 मार्च 2024 तक राज्य के इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्थ (उनके अंतिमिकृत लेखाओं के अनुसार) ₹ 2,354.75 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष (-) ₹ 3,347.44 करोड़ था। राज्य के इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिनकी पूंजी समाप्त हो गई थी, में से दो में 31 मार्च 2024 तक बकाया सरकारी ऋण ₹ 3,089.90 करोड़ था (परिशिष्ट 2.4)।

## (ii) निवेश एवं प्रतिफल

कंपनियों, निगमों एवं सहकारी बैंकों व संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल की प्रवृत्ति, सरकारी उधार की लागत एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर तालिका 2.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: निवेश एवं निवेश पर प्रतिफल का विवरण

निवेश/ प्रतिफल/ उधार लागत	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	4,261.06	4,562.40	4,913.00	5,333.57	5,524.23
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	248.44	245.43	166.53	180.90	191.17
प्रतिफल (प्रतिशत)	5.83	5.38	3.39	3.39	3.46
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.98	7.59	7.51	6.74	6.88
उधारों पर ब्याज की औसत दर एवं प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	-2.15	-2.21	-4.12	-3.35	-3.42
सरकारी उधारों पर ब्याज एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर के कारण सांकेतिक हानि (₹ करोड़ में) <sup>#</sup>	91.61	100.83	202.42	178.67	188.93

स्रोत: वित्त लेखे

# वर्ष की समाप्ति पर निवेश x ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर

वर्ष 2023-24 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹ 191.17 करोड़ (3.46 प्रतिशत) था। वर्ष 2019-24 के दौरान इन निवेशों का प्रतिफल 3.39 प्रतिशत से 5.83 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा उसकी उधारी पर चुकाए गए ब्याज की औसत दर 6.74 प्रतिशत से 7.98 प्रतिशत के मध्य थी। 31 मार्च 2024 तक कुल ₹ 5,524.23 करोड़ के

निवेश में से ₹ 4,737.81 करोड़ (85.76 प्रतिशत) का निवेश पांच<sup>3</sup> कंपनियों में था। वर्ष 2023-24 के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम का योगदान कुल प्रतिफल का 97.68 प्रतिशत (₹ 186.74 करोड़) था। विगत पांच वर्षों में सरकारी उधार की लागत एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किए निवेश के प्रतिफल के मध्य ₹ 762.46 करोड़ का अंतर था।

### (iii) सरकारी निवेशों का कंपनियों के लेखाओं से मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के रूप में सरकारी निवेश के आंकड़े राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं में दर्शाए आंकड़ों से मिलने चाहिए। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं तथा राज्य सरकार के वित्त लेखाओं में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान आवश्यक है। दोनों लेखाओं की संवीक्षा से उजागर हुआ कि राज्य के 28 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के रूप में किया गया सरकारी निवेश वित्त लेखाओं के अनुसार ₹ 4,270.37 करोड़ था जबकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अभिलेखों में यह ₹ 4,160.32 करोड़ था। इनमें ₹ 110.05 करोड़ का अंतर पाया गया (परिशिष्ट 2.5)। अंतर को स्पष्ट करने के लिए समयबद्ध तरीके से मिलान किया जाए।

### (iv) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रास्थिति एवं विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा उसके उधारों पर ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियां तालिका 2.27 में प्रस्तुत की गई हैं।

#### तालिका 2.27: 2019-24 के दौरान संवितरित एवं वसूली किए गए ऋणों की प्रमात्रा का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियों/उधार लागत की प्रमात्रा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
बकाया ऋण का अथ शेष*	6,953.33	7,390.49	7,687.59	8,024.83	8,052.62
वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से दी गई राशि	458.21	320.12	377.97	110.57	106.95
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	21.03	23.02	40.73	82.79	27.40
<b>बकाया ऋण का अंत शेष *</b>	<b>7,390.49</b>	<b>7,687.59</b>	<b>8,024.83</b>	<b>8,052.62</b>	<b>8,132.18</b>
निवल योग	437.17	297.10	337.24	27.78	79.55
प्राप्त ब्याज	135.11	248.98	97.72	15.44	47.65
सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम पर ब्याज दर (प्रतिशत)	1.94	3.37	1.24	0.19	0.59
गत वर्ष की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	7.80	7.19	6.91	6.99	6.87
चुकाए गए ब्याज की दर एवं प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत)	5.86	3.82	5.64	6.80	6.28

स्रोत: वित्त लेखे

\* 2016-17 के बाद से उदय योजना के अंतर्गत डिस्कोम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अथ व अंत शेष में शामिल है।

<sup>3</sup> सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,098.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 424.50 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (₹ 1,024.71 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (₹ 869.64 करोड़) और हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 1,320.82 करोड़)।

वर्ष 2023-24 के दौरान विगत वर्ष के ₹ 110.57 करोड़ के सापेक्ष ₹ 106.95 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दी गई। ऋण का बड़ा भाग ₹ 98.35 करोड़ (91.96 प्रतिशत) केवल विद्युत क्षेत्र को दिया गया। वर्ष के प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र पर ₹ 7,743.37 करोड़ का ऋण बकाया था। विगत 10 वर्षों में विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पूर्ववर्ती ऋणों की चुकौती नहीं की गई थी। फिर भी पूर्ववर्ती ऋणों की वसूली किए बिना विद्युत क्षेत्र को निरंतर और ऋण दिए जा रहे हैं।

वर्तमान वर्ष (2023-24) के दौरान मात्र ₹ 27.40 करोड़ की वसूली हुई, जिसका बड़ा भाग (₹ 21.49 करोड़ अर्थात् 78.43 प्रतिशत) सहकारी समितियों से संबंधित था।

#### (v) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी की प्रवृत्तियों का आकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी दर्शाता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तथा राज्य को लंबे समय तक अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गई निधियां ऋण व ब्याज देयताओं की चुकौती के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती हैं। वर्ष 2023-24 तक पूर्ण की जाने वाली अपूर्ण परियोजनाओं का आयु-वार एवं विभाग-वार विवरण क्रमशः तालिका 2.28 व 2.29 में दर्शाया गया है।

प्रारंभ होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2024 तक)
2015 तक	15	600.77	564.69
2016	4	112.95	95.87
2017	5	54.70	20.00
2018	8	55.29	46.97
2019	2	19.13	16.71
2021	3	29.82	7.95
2022	5	53.54	33.04
2023	8	136.94	68.94
2024	1	24.86	4.00
<b>योग</b>	<b>51</b>	<b>1,088.00</b>	<b>858.17</b>

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2024 तक)
सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य	27	752.75	679.97
लोक निर्माण (सड़क व पुल)	24	335.25	178.20
<b>योग</b>	<b>51</b>	<b>1,088.00</b>	<b>858.17</b>

स्रोत: वित्त लेखे

51 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 858.17 करोड़ व्यय होने के बावजूद अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। 51 अपूर्ण परियोजनाओं में से 15 परियोजनाएं, जिन पर 31.03.2024 तक ₹ 564.69 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं, वे वर्ष 2015 से पहले की अवधि से संबंधित हैं।

परियोजनाएं पूरी करने में हुआ विलम्ब न केवल व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अपितु राज्य को अभीष्ट लाभ और आर्थिक विकास से वंचित भी करता है।

### 2.4.2.3 सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

सार्वजनिक-निजी भागीदारी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार या सांविधिक इकाई एवं किसी निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक साझेदारी कार्य-रूपरेखा की व्यवस्था है। 31 मार्च 2024 तक सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं (पूर्ण, प्रक्रियाधीन व योजनाबद्ध) के विवरण परिच्छेद 2.6 में तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के क्षेत्र-वार विवरण तालिका 2.30 में दिए गए हैं।

तालिका 2.30: सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रक्रियाधीन		योजनाबद्ध	
		संख्या	अनुमानित लागत*	संख्या	अनुमानित लागत*	संख्या	अनुमानित लागत*
1.	शहरी अवसंरचना	7	124.00	9	383.00	3	--
2.	ऊर्जा	36	14,456.00	12	4,881.41	47	5,123.11
3.	सामाजिक	4	115.00	0	0	0	0
4.	पर्यटन	3	177.00	6	680.00	3	--
5.	अन्य	0	0	4	13.00	2	--
योग		50	14,872.00	31	5,957.41	55	5,123.11

स्रोत: विभागीय आंकड़ें

\* जिन परियोजनाओं की लागत ज्ञात नहीं है, उन्हें अनुमानित लागत में शामिल नहीं किया गया है।

### 2.4.3 व्यय प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर में अभिवृद्धि हेतु राज्य को मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उसके व्यय को बढ़ाना आवश्यक होता है। यदि सम्बंधित राष्ट्रीय औसत से आबंटन कम है, तो इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष से न्यून राजकोषीय प्राथमिकताएं (समग्र व्यय के सापेक्ष किसी श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) जुड़ी है। कुल व्यय के सापेक्ष इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.31 वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष लेते हुए वर्ष 2023-24 के दौरान समग्र व्यय, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संदर्भ में उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों के साथ राज्य सरकार की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.31: 2019-20 एवं 2023-24 में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा/ कुल व्यय	स्वास्थ्य/ कुल व्यय
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य (2019-20)	26.21	14.94	17.08	6.37
हिमाचल प्रदेश (2019-20)	22.85	15.49	17.43	6.34
उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्य (2023-24)	25.19	17.61	15.93	6.43
हिमाचल प्रदेश (2023-24)	24.33	11.37	16.47	6.34

टिप्पणी: पूंजीगत व्यय में ऋण व संवितरित अग्रिम शामिल है।


तालिका 2.31 दर्शाती है कि:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राज्य सरकार का कुल व्यय वर्ष 2019-20 के 22.85 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 24.33 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों में यह वर्ष 2019-20 के 26.21 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2023-24 में 25.19 प्रतिशत हो गया।
- पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति निर्माण की सुविधा प्रदान करता है जिससे उच्च विकास के अवसर पैदा होते हैं। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2019-20 के 15.49 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 11.37 प्रतिशत हो गया। परन्तु उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों में यह अनुपात इसी अवधि के दौरान 14.94 प्रतिशत से बढ़कर 17.61 प्रतिशत हो गया।
- वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश के कुल व्यय में शिक्षा का अनुपात वर्ष 2019-20 के 17.43 प्रतिशत से घट कर 16.47 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों हेतु भी यह अनुपात 17.08 प्रतिशत से 15.93 प्रतिशत घट गया।
- वर्ष 2019-20 व 2023-24 के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुल व्यय में स्वास्थ्य का अनुपात स्थिर रहा जबकि इसी अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के मामले में यह 6.37 प्रतिशत से थोड़ा बढ़ कर 6.43 प्रतिशत हो गया।

#### 2.4.4 वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वस्तु शीर्ष-वार व्यय वस्तु/व्यय के प्रयोजन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 हेतु वस्तु शीर्ष-वार व्यय का विवरण चार्ट 2.15 में दिया गया है।

चार्ट 2.15: वस्तु शीर्ष-वार व्यय



स्रोत: वित्त लेखे

## 2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उंचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती है। इनके संदर्भ में सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् बचा शेष वह उपलब्ध निधि है, जिसे सरकार विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करती है।

### 2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा का घटक-वार निवल शेष तालिका 2.32 में दिया गया है तथा लोक लेखा की शेष राशि के संगठन में आया वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.32: लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)


प्रभाग	उप प्रभाग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आई.- लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	15,537.13	16,522.64	17,006.28	17,682.25	19,337.57
	<b>कुल (आई)</b>	<b>15,537.13</b>	<b>16,522.64</b>	<b>17,006.28</b>	<b>17,682.25</b>	<b>19,337.57</b>
जे.- आरक्षित निधि	(क) सब्याज आरक्षित निधि	1,887.65	1,882.54	1,657.90	1,664.27	1,969.07
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधि	834.66	834.66	316.00	270.44	310.70
	<b>कुल (जे)</b>	<b>2,722.31</b>	<b>2,717.20</b>	<b>1,973.90</b>	<b>1,934.71</b>	<b>2,279.77</b>
के.- निक्षेप एवं अग्रिम	(क) सब्याज निक्षेप	-1.64	7.66	14.30	17.39	16.50
	(ख) ब्याज रहित निक्षेप	3,382.45	3,454.50	3,412.87	3,591.61	3,629.99

प्रभाग	उप प्रभाग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	(ग) अग्रिम	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
	<b>कुल (के)</b>	<b>3,380.30</b>	<b>3,461.65</b>	<b>3,426.66</b>	<b>3,608.49</b>	<b>3,645.98</b>
एल.- उचंत एवं विविध	(क) उचंत	-1,330.44	-1,539.83	-292.98	224.94	265.28
	(ख) अन्य लेखे	-982.25	-1,696.28	-2,568.27	-3,645.37	-1,458.00
	(ग) विदेशी सरकारों के साथ लेखे	--	--	--	--	0.00
	घ) विविध	--	--	--	--	0.00
	<b>कुल (एल)</b>	<b>-2,312.69</b>	<b>-3,236.11</b>	<b>-2,861.25</b>	<b>-3,420.43</b>	<b>-1,192.72</b>
एम.- प्रेषण	(क) मनीआर्डर एवं अन्य प्रेषण	612.45	546.02	653.51	494.02	620.18
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन लेखे	-6.16	-4.11	-0.01	-0.06	0.07
	<b>कुल (एम)</b>	<b>606.29</b>	<b>541.91</b>	<b>653.50</b>	<b>493.96</b>	<b>620.25</b>
<b>सकल योग</b>		<b>19,933.34</b>	<b>20,007.29</b>	<b>20,199.09</b>	<b>20,298.98</b>	<b>24,690.85</b>

स्रोत: वित्त लेखे

चार्ट 2.16: लोक लेखा शेष के संघटन में आया वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

### 2.5.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों हेतु सृजित की जाती हैं। इन निधियों को समेकित निधि या बाहरी एजेंसियों से योगदान या अनुदान से पूरा किया जाता है। यह सब्याज आरक्षित निधियों एवं ब्याज रहित आरक्षित निधियों से मिलकर बनती हैं।

आरक्षित निधियों के विवरण वित्त लेखाओं की विवरणी 21 व 22 में उपलब्ध है। 31 मार्च 2024 तक तीन सब्याज आरक्षित निधियां एवं चार ब्याज रहित आरक्षित निधियां थीं। 31 मार्च 2024 तक इन आरक्षित निधियों में रखी शेष निधि तालिका 2.33 में दी गई है।

तालिका 2.33: आरक्षित निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2024 तक बकाया शेष
<b>क</b>	<b>सब्याज आरक्षित निधियां</b>	<b>1,969.07</b>
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	58.15
2	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष	1,867.46
3	राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि	43.46
<b>ख</b>	<b>ब्याज रहित आरक्षित निधियां</b>	<b>310.69</b>
1	औद्योगिक विकास निधि	0.16
2	विद्युत विकास निधि	254.32
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	56.22
4	उपभोक्ता कल्याण	--*
<b>सकल योग</b>		<b>2,279.76</b>

स्रोत: वित्त लेखे

\* मात्र ₹ 0.07 लाख

### 2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की शर्तानुसार राज्य सरकारों को बकाया देयताओं के निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि सृजित करना अपेक्षित था। राज्यों द्वारा इच्छा आधार पर अपनाते हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश 2006 द्वारा परिचालित आदर्श समेकित ऋण शोधन निधि योजना के अनुसार, राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना था।

उपरोक्त दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 की समाप्ति तक 31 मार्च 2023 तक की बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत का अंशदान करना अपेक्षित था। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की बकाया देयताएं ₹ 82,177.21 करोड़ थीं। इस प्रकार वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार को निधि में न्यूनतम ₹ 410.89 करोड़ (₹ 82,177.21 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) राशि का अंशदान अपेक्षित था।

यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक समेकित ऋण शोधन निधि का सृजन नहीं किया।

### 2.5.2.2 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के सृजन की संस्तुति की, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि शामिल होंगे। राज्य

आपदा जोखिम प्रबंधन निधि हेतु कुल राज्य आवंटन को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि में विभाजित किया जाएगा, जो मिलकर आपदा प्रबंधन आवश्यकताओं-प्रतिक्रिया व राहत, सुधार व पुनर्निर्माण, तैयारी व क्षमता निर्माण एवं शमन के सम्पूर्ण चक्र का समाधान करेंगे। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को कुल राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का 80 प्रतिशत प्राप्त होगा, जबकि राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि को आवंटन का 20 प्रतिशत मिलेगा।

### (क) राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से तत्कालीन आपदा राहत कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में परिवर्तित कर दिया था। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशानुसार (सितंबर 2010, जुलाई 2015 व जनवरी 2022) इस निधि में केंद्र एवं राज्य सरकारों से 90:10 के अनुपात में अंशदान करना अपेक्षित था। इस अंशदान को लोक लेखा के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष-2245 को संचालित कर व्यय किया जाता है।

राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत अधिविकर्ष हेतु प्रयोज्य दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश से अर्जित आय को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि के साथ केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां, नीलामी किए गए कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अन्य सब्याज निक्षेपों में निवेश किया जाना है।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल आपदा के पीड़ितों को तत्काल राहत हेतु व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए, आपदा की तैयारी, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण एवं शमन के प्रावधान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षों/राज्य योजना निधियों आदि में शामिल करना होगा।

वित्त लेखाओं के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार को केंद्रांश के रूप में ₹ 360.80 करोड़ प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्यांश ₹ 40.00 करोड़ रहा। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत निधि में ₹ 401.00 करोड़ {केंद्रांश ₹ 360.80 करोड़, राज्यांश ₹ 40.20 करोड़ (₹ 0.20 करोड़ का अतिरिक्त अंतरण वर्ष 2021-22 से संबंधित है)} अंतरित किया।

इसके अतिरिक्त राज्य को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के लिए केंद्र सरकार से ₹ 787.25 करोड़ प्राप्त हुए, जिसे 31 मार्च 2024 तक मुख्य शीर्ष 8235-125 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत कोष में जमा/स्थानांतरित कर दिया गया।

31 मार्च 2023 तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की ₹ 55.55 करोड़ की शेष राशि का भी राज्य सरकार ने निवेश नहीं किया। यदि इस शेष राशि का निवेश किया जाता तो ₹ 11.36 करोड़ {8.50 प्रतिशत की दर से परिकल्पित ब्याज (वर्ष 2022-23 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम की 6.50 औसत दर के साथ दो प्रतिशत)} का ब्याज अर्जित होता, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष व राजकोषीय घाटे की इस सीमा तक न्यूनोक्ति होती।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि पर प्रभारित व्यय का विवरण तालिका 2.34 में दिया गया है।

तालिका 2.34: 2023-24 के दौरान राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को प्रभारित व्यय का विवरण

		(₹ करोड़ में)
मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	व्यय
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि।	101- निःशुल्क राहत	48.22
	102- पेयजल आपूर्ति	0.60
	106- क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों की मरम्मत और बहाली	448.35
	109- क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति, जल निकासी व सीवरेज कार्यों की मरम्मत और बहाली	346.75
	111- शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	77.21
	113- आवासों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सहायता	39.13
	193- स्थानीय निकायों व अन्य गैर-सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता	141.62
	<b>कुल</b>	<b>1,101.88</b>
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	901- कटौती - राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से प्राप्त राशि	-1,145.40

स्रोत: वित्त लेखे

#### (ख) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि का गठन किया जाता है। यह निधि विशेष रूप से राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि दिशानिर्देशों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य से है। राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या एफआईएन-जी-सी (2) 05/2022, दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (सब्याज प्रभाग के अंतर्गत आने वाले मुख्य शीर्ष-8121 सामान्य व अन्य आरक्षित निधि' के तहत) का सृजन किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 42.80 करोड़ राज्यांश के रूप में प्राप्त किए। वर्ष के दौरान राज्यांश ₹ 4.80 करोड़ था। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-130 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत निधि में ₹ 95.20 करोड़ (केंद्रांश: ₹ 85.60 करोड़ {2022-23

(31 मार्च 2023 को प्राप्त): ₹ 42.80 करोड़ व 2023-24: ₹ 42.80 करोड़}, राज्यांश ₹ 9.60 करोड़ (2022-23 (31 मार्च 2023 को प्राप्त): ₹ 4.80 करोड़ व 2023-24: ₹ 4.80 करोड़) अंतरित किए।

₹ 93.78 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष 2245 में समायोजित की गई क्योंकि व्यय की पूर्ति निधि से की गई थी तथा निधि से कोई राशि निवेश नहीं की गई थी। 31 मार्च 2024 तक निधि में ₹ 43.46 करोड़ का अंत शेष था।

### 2.5.2.3 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

जारी किए गए बांड एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा लिए गए अन्य उधारों के संदर्भ में तथा लाभार्थियों द्वारा मांगे जाने पर सरकार द्वारा जारी की गई गारंटी के कारण उत्पन्न भुगतान देयताओं को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति विमोच्य निधि का गठन किया जाता है। निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटी के भुगतान पर ही किया जाता है तथा उन संस्थानों को भुगतान नहीं किया जाता जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी। राज्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट योजना परिचालित की (अगस्त 2001) जिसके अनुसार राज्य सरकार से चालू वित्त वर्ष से पूर्व के द्वितीय वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित था, जैसा की प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में दर्शाए गए थे। यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक प्रत्याभूति विमोच्य निधि स्थापित नहीं की।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर बकाया गारंटी राशि ₹ 1,744.81 करोड़ थी। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अन्य निकाय द्वारा भुगतान चूकने की स्थिति में राज्य सरकार को प्रत्याभूत विमोच्य निधि के अभाव में अन्य उपलब्ध संसाधनों से व्यय वहन करना होगा, जिससे वित्त पर अधिक दबाव पड़ेगा। हालांकि बकाया गारंटी राज्य की विगत वर्ष (2022-23) की कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.58 प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित गत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत लक्ष्य की सीमा के भीतर रही।

### 2.5.2.4 राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष

प्रतिपूरक वनीकरण के संचालन, सहयोगकृत प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियां और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों हेतु प्राप्त राशि के प्रबंधन एवं एकत्रित धन के उपयोग हेतु राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष का सृजन अपेक्षित था। इस कोष के तहत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से नवम्बर 2018 में जारी किए गए।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई राशि प्राप्त नहीं की। सरकार को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निक्षेप से ₹ 308.30 करोड़ (गत वर्ष कोई राशि नहीं) प्राप्त हुए। सरकार ने कोष से ₹ 61.55 करोड़ का व्यय किया एवं वर्ष के दौरान कोई राशि निवेश नहीं की गई। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 हेतु देय ₹ 54.03 करोड़ का ब्याज मुख्य शीर्ष 8121-129- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष के अंतर्गत कोष को चुका दिया है।

31 मार्च 2024 तक राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष में कुल शेष ₹ 1,867.46 करोड़ था।

### 2.5.2.5 केन्द्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि

भारत सरकार की दिनांक 31.03.2018 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि का नाम बदलकर केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि कर दिया गया। केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं के विकास एवं रखरखाव, रेलवे की सुरक्षा में सुधार, राज्य व ग्रामीण सड़कों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं इत्यादि हेतु किया जाएगा।

मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया की शर्तानुसार केंद्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को आरम्भ में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाए। तदोपरांत राज्य सरकार इस प्रकार प्राप्त राशि को लोक लेखा में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष (शीर्षों) के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8449-103-केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढांचा से सब्सिडी निधि में हस्तांतरित करती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि में ₹ 136.32 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया। राज्य सरकार ने लोक लेखा की निधि में ₹ 136.32 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभी तक निधि का सृजन नहीं किया गया। हालांकि वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय शीर्ष से केंद्रीय सड़क एवं बुनियादी ढांचा निधि पर ₹ 148.04 करोड़ खर्च किए।

### 2.5.3 उचंत एवं विविध

वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा उचंत से ₹ 21.58 करोड़ राशि का निपटान किया गया एवं ₹ 5.73 करोड़ वाउचर/चालान/स्वीकृति पत्र आदि जैसे दस्तावेजों के अभाव में उचंत [मुख्य शीर्ष 8658, लघु शीर्ष 110-रिज़र्व बैंक उचंत-केंद्रीय लेखा कार्यालय] के अंतर्गत बकाया रहे। सरकार के कुल व्यय में इस सीमा तक न्यूनोक्ति हुई।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2023-24 के दौरान विगत वर्षों की आपत्ति बही उचंत की ₹ 40.07 करोड़ राशि (राजस्व व्यय ₹ 34.94 करोड़ व पूंजीगत व्यय ₹ 5.13 करोड़) को मंजूरी दे दी गई। इस प्रकार वर्ष 2023-24 के बजट प्रावधानों के प्रति वित्त लेखाओं के राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय एवं विनियोजन लेखाओं के वास्तविक व्यय में इस सीमा तक अत्योक्ति हुई।


वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष राशि को दर्शाते हैं। 31 मार्च 2024 तक उचंत व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि ₹ 885.53 करोड़ (क्रेडिट) थी [31 मार्च 2023 तक ₹ 718.90 करोड़ (क्रेडिट)], जिसे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया डेबिट व क्रेडिट शेष को अलग-अलग जोड़कर निकाला गया था।

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का निपटान न होना राज्य सरकार के प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों व विभिन्न लेखा शीर्षों (जिन्हें वर्ष दर वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) के अंतर्गत शेष राशि की सटीकता को प्रभावित करता है।

## 2.6 लोक देयता प्रबंधन

लोक देयता प्रबंधन सरकार की देयताओं के प्रबंधन हेतु निधियन की आवश्यक मात्रा, इसके जोखिमों एवं लागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा ऐसे किसी अन्य स्वतंत्र ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु, जो सरकार अधिनियम अथवा अन्य वार्षिक बजट उद्घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित कर सकती है, के लिए रणनीति स्थापित करने एवं कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि हेतु समग्र बकाया देयता की वर्षवार स्थिति चार्ट 2.17 में दी गई है।



\* कुल बकाया देयताएं एवं कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात की गणना, वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के लिए वस्तु व सेवा कर में क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ तथा ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर की गई है।

### 2.6.1 देयता रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार की कुल देयता राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति व वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से मिलकर बनती हैं।

वर्ष 2023-24 हेतु राज्य की बकाया राजकोषीय देयताएं चार्ट 2.18 में प्रस्तुत की गई हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि में राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां तालिका 2.35 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.35: घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय देयता के घटक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	31 मार्च 2024 तक समग्र बकाया देयता* (1+2)	62,211.84	67,164.75	69,122.58	82,177.21	91,220.73
1.	लोक ऋण					
	(क) आंतरिक ऋण	39,527.77	42,918.21	44,376.03	55,975.16	61,439.29
	(ख) भारत सरकार से प्राप्त ऋण	1,043.81	1,544.54	4,056.19	2,976.09	4,517.61
2.	लोक लेखा देयताएं	21,640.26	22,702.00	22,407.36	23,225.96	25,263.83
	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	15,537.13	16,522.64	17,006.28	17,682.25	19,337.57
	सब्याज आरक्षित निधियां	1,887.65	1,882.54	1,657.90	1,664.27	1,969.07
	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	834.66	834.66	316.00	270.44	310.70
	सब्याज निक्षेप	-1.63	7.66	14.30	17.39	16.50
	ब्याज रहित निक्षेप	3,382.45	3,454.50	3,412.88	3,591.61	3,629.99
3.	बकाया कुल देयता की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.57	7.96	2.91	18.89	11.00
4.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,59,164	1,51,601	1,72,162 <sup>अ</sup>	1,91,728 <sup>अ</sup>	2,07,430 <sup>अ</sup>
5.	कुल देयता/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	39.09	44.30	40.15	42.86	43.98
	उधार एवं अन्य देयताएं (वित्त लेखा की विवरणी 6 के अनुसार)					
6.	कुल लोक लेखा प्राप्तियां	10,847.39	15,032.21	6,639.75	22,371.82	14,901.51
7.	कुल लोक ऋण चुकावतियां	6,700.75	11,141.05	4,387.28	10,135.80	7,895.87
8.	उपलब्ध निवल निधियां (6-7)	4,146.64	3,891.16	2,252.47	12,236.02	7,005.64
9.	चुकावतियाँ/ प्राप्तियां (प्रतिशत) (7/6)	61.77	74.11	66.08	45.31	52.99
10.	निवल लोक लेखा प्राप्तियां	2,458.27	787.97	1,063.80	1,176.99	2,204.49
11.	कुल उपलब्ध ऋण (8+10)	6,604.91	4,679.13	3,316.27	13,413.01	9,210.13

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

\* वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए वस्तु व सेवा कर में क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान।

वर्ष 2023-24 में राज्य की कुल बकाया देयता 46.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती हुई वर्ष 2019-20 के ₹ 62,211.84 करोड़ से ₹ 29,008.89 करोड़ बढ़कर ₹ 91,220.73 करोड़ हो गई। पांच वर्षों (2019-24) की अवधि में राज्य के आंतरिक ऋण (जिसमें मुख्यतः खुले बाजार से लिए गए बकाया दीर्घकालिक ऋण, वर्ष 2016-17 के दौरान उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के कार्यान्वयन की अनुपालना में राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के ऋणों को चुकाने हेतु जारी बांड शामिल हैं) में ₹ 21,911.52 करोड़ (55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; भारत सरकार से ऋण


(जिसमें मुख्य रूप से ब्लॉक ऋण शामिल हैं) में ₹ 3,473.80 करोड़ (333 प्रतिशत) की वृद्धि हुई; तथा लोक लेखा देयता (जिसमें मुख्य रूप से लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, आदि शामिल हैं) में ₹ 3,623.57 करोड़ (17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों से ऋण चुकौती का प्रतिशत 45.31 प्रतिशत व 74.11 प्रतिशत (औसतन 60 प्रतिशत) के मध्य रहा। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार ने ऋण प्राप्तियों के केवल 40 प्रतिशत (औसत) का उपयोग विकासात्मक गतिविधियों पर किया (2022-23 व 2023-24 में ऋण प्राप्तियों का उपयोग राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु भी किया गया)।

वर्ष 2023-24 के दौरान कुल देयता विगत वर्ष के 18.89 प्रतिशत (₹ 13,054.63 करोड़) की तुलना में 11 प्रतिशत (₹ 9,043.52 करोड़) बढ़ गई। पांच वर्ष की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल देयता का अनुपात 39.09 प्रतिशत से 44.30 प्रतिशत के मध्य रहा। कुल देयता/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (43.98 प्रतिशत) 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों (36.80 प्रतिशत) तथा उसके बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों (38.98 प्रतिशत) से काफी अधिक था।

वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया कुल देयताओं का विवरण चार्ट 2.18 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18: 31 मार्च 2024 की समाप्ति पर बकाया कुल देयताओं का विवरण




\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 4,412.22 करोड़ (2020-21: ₹ 1,717 करोड़ व 2021-22: ₹ 2,695.22 करोड़) को छोड़ कर।

चार्ट 2.19 पांच वर्ष की अवधि अर्थात् वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान लिए गए आंतरिक ऋण की तुलना में चुकाए गए ऋण की मात्रा को दर्शाता है।

चार्ट 2.19: लिए गए एवं चुकाए गए आंतरिक ऋण के वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

पांच वर्ष (2019-24) की अवधि में राज्य सरकार के आंतरिक ऋण (प्राप्तियां) में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने अधिक मात्रा में ऋण (₹ 21,632 करोड़) अर्जित किया। परन्तु चालू वर्ष के दौरान ऋण की राशि ₹ 8,380 करोड़ घट कर ₹ 13,252 करोड़ हो गई।

तालिका 2.36 वर्ष 2019-24 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण पैटर्न को दर्शाती है तथा वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण को एक चार्ट (चार्ट 2.20) के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

तालिका 2.36: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उसका वित्तपोषण पैटर्न

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
<b>राजस्व घाटे के संघटक</b>		5,597.06	-5,700.09	-5,244.85	-12,379.83	-11,265.73
क	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	11.98	-96.66	1,114.76	-6,335.76	-5,558.59
ख	निवल पूंजीगत व्यय	-5,171.87	-5,306.33	-6,022.37	-6,016.30	-5,627.59
ग	निवल ऋण व अग्रिम	-437.17	-297.10	-337.25	-27.78	-79.55
<b>राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण पैटर्न</b>						
1	बाजारी उधार	4,460.00	3755	1,874.99	1,2230	6,144.9
2	भारत सरकार से प्राप्त ऋण	-17.95	2,217.73*	3,489.87*	636.90	1,541.52
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	-569.10	-569.10	-569.10	-569.10	-569.10
4	वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	273.69	204.54	151.92	-61.78	-111.68
5	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,187.60	985.51	483.65	675.96	1,655.33
6	निक्षेप एवं अग्रिम	173.71	81.35	-34.99	181.83	37.49
7	उचंत व विविध	-1,404.92	-209.39	1,246.84	517.93	40.33
8	प्रेषण	96.80	-64.38	111.59	-159.55	126.29
9	आरक्षित निधियां	2,404.71	-5.11	-743.30	-39.18	345.05
10	<b>समग्र घाटा</b>	<b>6,604.54</b>	<b>6,396.15</b>	<b>6,011.47</b>	<b>13,413.01</b>	<b>9,210.13</b>
11	नकद शेष में वृद्धि (-)/ गिरावट (+)	-1,007.48	-696.06	-766.62	-1033.18	2,055.60
12	<b>सकल राजकोषीय घाटा</b>	<b>5,597.06</b>	<b>5,700.09</b>	<b>5,244.85</b>	<b>12,379.83</b>	<b>11,265.73</b>


स्रोत: वित्त लेखे

ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरित/जारी किए गए का कुल हैं।

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) व ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) शामिल हैं।

चार्ट 2.20: 2019-24 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



वर्ष 2023-24 में ₹ 11,265.73 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से लोक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जिसमें बाजार उधार, वित्तीय संस्थानों से ऋण तथा लघु बचत आदि सहित लोक लेखा शामिल थे, जैसाकि तालिका 2.37 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.37: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1	बाजारी उधार	8,072.00	1,927.10	6,144.90
2	भारत सरकार से प्राप्त ऋण	1,649.15	107.63	1,541.52
3	राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	0.00	569.10	-569.10
4	वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	799.99	911.67	-111.68
5	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	4,794.75	3,139.42	1,655.33
6	निक्षेप एवं अग्रिम	4,071.13	4,033.64	37.49
7	उचंत व विविध	1,401.15	1,360.82	40.33
8	प्रेषण	9,076.55	8,950.26	126.29
9	आरक्षित निधियां	1,645.78	1,300.73	345.05
10	समग्र घाटा	31,510.50	22,300.37	9,210.13
11	नकद शेष में वृद्धि/ गिरावट	3,556.04	1,500.44	2,055.60
12	सकल राजकोषीय घाटा	35,066.54	23,800.81	11,265.73

स्रोत: वित्त लेखे

### 2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी

ऋण परिपक्वता एवं अदायगी रूपरेखा ऋण चुकाने में सरकार की प्रतिबद्धता की परिचायक है। राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.38 व चार्ट 2.21 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.38: राज्य के लोक ऋण की अदायगी की ऋण परिपक्वता रूपरेखा


अदायगी अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)			प्रतिशत (कुल लोक ऋण के संदर्भ में)
	लोक ऋण (मूल)	ब्याज <sup>#</sup>	कुल लोक ऋण (मूल + ब्याज)	
0-1	3,946.98	4,578.12	8,525.10	8.71
1-3	9,119.37	8,261.25	17,380.62	17.77
3-5	9,309.94	6,903.10	16,213.04	16.57
5-7	10,333.58	5,514.66	15,848.24	16.20
7-10	12,921.79	5,521.29	18,443.08	18.85
10 से अधिक	16,740.51	4,679.38	21,419.89	21.90
<b>योग</b>	<b>62,372.17*</b>	<b>35,457.79</b>	<b>97,829.96</b>	

स्रोत: वित्त लेखे

\* इस राशि में वस्तु व सेवा कर में क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से 2020-21 व 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़, "पूँजीगत व्यय के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना" के तहत ऋण के भुगतान के रूप में ₹ 1,333 करोड़, पूँजी निवेश के लिए राज्य को ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना के रूप में ₹ 2,166.77 करोड़, 1984-85 से पहले के ऋणों से संबंधित ₹ 0.13 करोड़ एवं ₹ 84.77 करोड़ तथा ₹ 5.80 लाख की परिपक्वता जोकि अनिश्चित है, को शामिल नहीं किया गया है।


# 7.34 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर परिकल्पित अनुमानित ब्याज (विगत पांच वर्षों की ब्याज दरों का औसत तालिका 2.39 में दिया गया है)।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मार्च 2024 तक ब्याज सहित ₹ 97,829.96 (मूलधन: ₹ 62,372.17 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 35,457.79 करोड़) के कुल बकाया लोक ऋण में से 8.71 प्रतिशत (₹ 8,525.10 करोड़) अगले एक वर्ष में देय है; 17.77 प्रतिशत (₹ 17,380.62 करोड़) अगले एक से तीन वर्ष में देय है (2026-27 तक); 16.57 प्रतिशत (₹ 16,213.04 करोड़) अगले तीन से पांच वर्षों (2028-29 तक); 16.20 प्रतिशत (₹ 15,848 करोड़) अगले पांच से सात वर्षों में (2030-31 तक); 18.85 प्रतिशत (₹ 18,443.08 करोड़) अगले सात से 10 वर्षों में (2033-34 तक) देय है, जबकि शेष 21.90 फीसदी (₹ 21,419.89 करोड़) का भुगतान 10 वर्षों के बाद करना होगा। अगले पांच वर्षों (वर्ष 2028-29 तक) के दौरान लोक ऋण अदायगी व ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 8,423.75 करोड़ होगा जबकि ब्याज सहित लोक ऋण (मूलधन) की चालू वार्षिक अदायगी (वर्ष 2023-24) ₹ 7,808.40 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम को छोड़कर) है, जो ऋण देयताओं को पूरा नहीं कर पाएंगी।



आगामी 10 वर्षों के दौरान अर्थात् 2033-34 तक बकाया लोक ऋण (ब्याज सहित) की वर्ष-वार अदायगी समयसारणी चार्ट 2.22 में दी गई है।

चार्ट 2.22: आगामी 10 वर्षों के दौरान अर्थात् 2033-34 तक बकाया लोक ऋण (ब्याज सहित) की वर्ष-वार अदायगी समयसारणी (₹ करोड़ में)




उपरोक्त चार्ट 2.22 से स्पष्ट है कि वर्ष 2032-33 तक राज्य को औसतन ₹ 7,641.01 करोड़ का लोक ऋण वार्षिक रूप से चुकाना होगा। वर्ष 2023-24 के अंत में बकाया ऋण के अतिरिक्त राज्य को संसाधन अंतराल को भरने के लिए हर वर्ष और उधारों का सहारा लेना होगा।

### बाजार उधार/ऋण

बाजार ऋण एवं उस पर चुकाए जाने वाले ब्याज की पुनर्भुगतान समय-सारणी चार्ट 2.23 में राशि विवरित है।

चार्ट 2.23: बाजार ऋणों की अदायगी समय-सारणी



स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: 31 मार्च 2023 तक बकाया बाजार ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा परिकल्पित की गई है एवं ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण परिपक्व होने वाले हैं।

राज्य को ब्याज सहित ₹ 86,076 करोड़ के कुल बकाया बाजार ऋणों (मूलधन: ₹ 52,147 करोड़ व ब्याज: ₹ 33,929 करोड़) में से बाजार ऋण के मूलधन के ₹ 6,155 करोड़ एवं ब्याज के ₹ 11,163 करोड़ की अदायगी अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2026-27 तक करनी होगी। अगले दो वित्तीय वर्षों में ₹ 7,800 करोड़ मूलधन व ₹ 6,447 करोड़ ब्याज देय होगा। इस प्रकार अगले पांच वर्षों (2028-29 तक) के दौरान बाजार ऋण चुकौती एवं ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 6,313 करोड़ होगा। वर्ष 2023-24 के दौरान ब्याज सहित बाजार ऋणों की चुकौती ₹ 5,418 करोड़ थी।

## 2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण

ऋण धारणीयता का विश्लेषण राजकोषीय व ऋण मापदंडों, डोमार दृष्टिकोण और संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों हेतु मैक्रो-राजकोषीय मापदंडों के अनुपालन के आधार पर किया गया है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित परिच्छेदों में दिए गए हैं:

- (क) ऋण धारणीयता का तात्पर्य राज्य की वर्तमान एवं भविष्य में अपनी ऋण देयताओं को पूरा करने की क्षमता से है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्षों की अवधि हेतु ऋण धारणीयता संकेतकों में भिन्नता का विश्लेषण तालिका 2.39 व चार्ट 2.24 में दिया गया है।

तालिका 2.39: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ऋण धारणीयता सूचकांक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	समग्र देयताएं या समग्र ऋण	62,211.84	67,164.75	69,122.58	82,177.21	91,220.73
2	समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.57	7.96	2.91	18.89	11.00
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सामान्य के अर्थ में)	1,59,164	1,51,601	1,72,162	1,91,728	2,07,430
4	सामान्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)	7.27	-4.75	13.56	11.36	8.19
5	समग्र ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	39.09	44.30	40.15	42.86	43.98
6	<b>सभी प्रकार के उधारों की परिपक्वता रूपरेखा</b>					
6अ	0-2 वर्ष	17,112.79				
6ब	2-5 वर्ष	25,005.96				
6स	5-10 वर्ष	34,291.32				
6द	10 वर्ष से अधिक	21,419.89				
7	सकल उधारों की चुकोती (प्रतिशत)	82.57	91.04	99.93	74.84	86.64
8	सकल उधार के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल उधार	17.43	8.96	0.07	25.16	13.36
9	समग्र ऋण पर ब्याज भुगतान	4,234.02	4,472.45	4,640.79	4,828.64	5,648.37
10	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत में)	7.79	7.43	7.34	6.88	7.06
11	राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	13.77	13.38	12.44	12.68	14.42
12	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	11.98	-96.66	1,114.76	-6,335.76	-5,558.59
13	प्राथमिक राजस्व शेष	4,246	4,375.52	5,755.55	-1,507.12	89.78
14	प्राथमिक शेष	-1,363	-1,228	-604	-7,551	-5,617
15	प्राथमिक शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-0.86	-0.81	-0.35	-3.94	-2.71
16	समग्र देयता पर निवेश के प्रतिफल व प्रभावी ब्याज दर के मध्य अंतर	-5.90	-4.13	-6.10	-6.69	-6.47
17	तरलता प्रबंधन (रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास उपलब्ध वित्तीय समायोजन साधन का उपयोग) (कई अवसरों पर)	38	63	16	70	41
18	ऋण धारणीयता (प्रमात्रा विस्तार + प्राथमिक शेष)	-1,664.44	-8,824.02	3,380.35	-4,126.90	-4,667.13
19	<b>डोमार मानदंड</b>					
क	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर अर्थ में)	1,21,227	1,15,958	1,24,770	1,33,372	1,42,800
ख	वास्तविक वृद्धि (स्थिर अर्थ में)	4.13	-4.35	7.60	6.89	7.07
ग	उपभोक्ता मूल्य सूची आधारित मुद्रास्फीति (प्रतिशत में)	3.50	4.65	6.66	4.50	5.04

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	ऋण धारणीयता सूचकांक	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
घ	समग्र ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	7.79	7.43	7.34	6.88	7.06
ड	वास्तविक प्रभावी ब्याज दर (प्रभावी ब्याज दर-मुद्रास्फीति)	4.29	2.78	0.68	2.38	2.02
च	वृद्धि ब्याज अंतर (वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर)	-0.15	-7.13	6.92	4.52	5.05

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे।

समग्र देयताएं या समग्र ऋण में लोक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम सहित) व लोक लेखा देयताओं (ब्याज एवं ब्याज रहित आरक्षित निधि व निक्षेप सहित) के साथ अन्य देयताएं शामिल होती हैं।

प्राथमिक राजस्व शेष: राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय+ब्याज भुगतान, जहां (-) प्राथमिक शेष का अर्थ प्राथमिक घाटा या इसके विपरीत।

प्राथमिक शेष: कुल प्राप्तियां (निवल उधार) - कुल व्यय (निवल ब्याज भुगतान), जहां (-) प्राथमिक शेष का अर्थ प्राथमिक घाटा या इसके विपरीत।


प्रभावी ब्याज दर: {ब्याज भुगतान [(विगत व चालू वित्तीय वर्ष का औसत बकाया ऋण (ब्याज रहित देयताओं के अतिरिक्त)]}

प्रमात्रा विस्तार: ब्याज विस्तार \* ऋण

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि हेतु ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृत्ति चार्ट 2.24 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 2.24: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



उपरोक्त तालिका 2.39 में दिए गए प्रत्येक ऋण धारणीयता संकेतक के आंकड़ों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019-2024 के दौरान राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण निम्नानुसार किया जा सकता है:

**(i) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ऋण अनुपात**

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ऋण अनुपात का कम मूल्य इंगित करता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था बिना कोई और ऋण लिए ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त सक्रिय है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के सापेक्ष उच्च ऋण दर्शाता है कि राज्य का बोझ उसके आर्थिक उत्पादन/विकास की तुलना में काफी अधिक है एवं वित्तीय दुर्बलता व कम राजकोषीय लचीलेपन को परिलक्षित करता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राज्य के ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में उतार-चढ़ाव 39.09 व 44.30 प्रतिशत के मध्य रहा, जो वर्ष 2023-24 में 43.98 प्रतिशत पर समाप्त हुआ। यद्यपि वर्ष 2021-22 के दौरान अनुपात में कमी आई परन्तु वर्ष 2022-23 के 42.86 प्रतिशत (2.71 प्रतिशत अंक) एवं वर्ष 2023-24 के 43.98 प्रतिशत (1.12 प्रतिशत अंक) की वृद्धि ने वित्तीय दुर्बलता में वृद्धि को परिलक्षित किया। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 1.4 से स्पष्ट है कि राज्य वर्ष 2019-24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति उसके ऋण को वर्ष 2019-24 की अवधि हेतु वित्तायोग की निर्धारित सीमा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के लक्ष्यों के भीतर वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त नहीं रख सका।

कम अनुपात से राज्य को अधिक राजकोषीय लचीलापन मिलेगा जिससे वह विकास या सामाजिक व्यय पर समझौता किए बिना आर्थिक झटकों को बेहतर ढंग से संभाल सकेगा। हालांकि यदि आर्थिक विकास ऋण वृद्धि के साथ सामंजस्य नहीं रखता है तो वर्तमान प्रवृत्ति भविष्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने में सीमित लचीलेपन को इंगित करती है।

**(ii) सकल राज्य घरेलू उत्पाद/ऋण वृद्धि की तुलना**

जब सामान्य वृद्धि दर ऋण की वृद्धि दर से अधिक हो तथा वास्तविक वृद्धि दर वास्तविक ब्याज दर से अधिक हो तब सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि ऋण अदायगी करने में साध्य होती है; परन्तु जब ये स्थितियां उलट जाती हैं तब ऋण स्थिर मार्ग पर होता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक (वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त) राज्य ने धारणीयता की शर्तों को पूरा नहीं किया, क्योंकि अधिकांश वर्षों में ऋण की वृद्धि दर सामान्य वृद्धि दर से कहीं अधिक रही। हालांकि वास्तविक वृद्धि दरों के लिए, विशेष रूप से वर्ष 2020-21 में कोविड महामारी के कारण वास्तविक वृद्धि ऋणात्मक (-4.35 प्रतिशत) रही, जो वास्तविक आर्थिक वृद्धि के माध्यम से ऋण धारणीयता में कठिनाई का परिचायक है। वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में वास्तविक प्रभावी ब्याज दर की तुलना में सुदृढ वास्तविक वृद्धि प्रदर्शित हुई, जो इस प्रवृत्ति के जारी रहने पर ऋण धारणीयता के सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत देती है। यह संकेतक बताता है कि यद्यपि वर्ष 2020-21 में कुछ बाधा आई तथापि हाल के वर्षों में ऋण चुकौती में साध्यता प्रदर्शित हुई है।

**(iii) प्राथमिक शेष**

धनात्मक प्राथमिक राजस्व शेष एवं प्राथमिक शेष इंगित करता है कि ऋण स्थिर मार्ग पर है। वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक राज्य ने ऋणात्मक प्राथमिक शेष का सामना किया, जिसमें विगत दो वर्षों के दौरान प्राथमिक शेष सबसे अधिक ऋणात्मक रहा। अवधि के दौरान प्राथमिक राजस्व शेष धनात्मक बना रहा (वर्ष 2022-23 को छोड़कर) जो बताता है कि राज्य का राजस्व आधार अधिकांश राजस्व व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति ब्याज भुगतान से पहले कर सकता है। प्राथमिक शेष का निरंतर ऋणात्मक बने रहना ऋण धारणीयता पर दबाव बढ़ा सकता है।

**(iv) ब्याज भुगतान का अनुपात**

राजस्व प्राप्तियों के प्रति ब्याज भुगतान के प्रतिशत एवं राजस्व व्यय के प्रति ब्याज भुगतान के प्रतिशत की घटती प्रवृत्ति स्थिर ऋण का संकेत है, जबकि बढ़ती प्रवृत्ति ऋण के अस्थिर प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है।

वर्ष 2019-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान में घटती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई जबकि विगत वर्ष (2021-22) की तुलना में पिछले दो वर्षों यानी वर्ष 2022-23 व 2023-24 में इसमें बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

**(v) परिपक्वता रूपरेखा**

ऋण धारणीयता बनाए रखने के लिए ऋण सीमा की अस्थायी दर (फ्लोटिंग रेट) के छोटे अंश के साथ लंबी औसत शेष परिपक्वता अवधि जोखिमों को कम करती है एवं ब्याज दर की अस्थिरता को रोकती है।

5-10 वर्ष की अवधि में परिपक्व होने वाले बड़े भाग (₹ 34,291 करोड़) के साथ ऋण की परिपक्वता रूपरेखा थोड़े (छोटी मात्रा में) ऋण पुनरावृत्ति के जोखिम का संकेत देती है। 0-2 वर्ष (₹ 17,112 करोड़) व 2-5 वर्ष (₹ 25,006 करोड़) के भीतर परिपक्व होने वाले ऋण भी अल्पकालिक दबावों को बढ़ाते हैं। अस्थायी दर ऋण का अंश स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया परन्तु बड़ा होने पर ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का सामना करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। दीर्घकालिक परिपक्वता ऋण को कुल ऋण रूपरेखा का एक बड़ा हिस्सा बनाए रखना सुनिश्चित करना तत्काल ऋण अदायगी व ब्याज दर की अस्थिरता के दबाव को कम करता है, जिससे धारणीयता में सुधार होगा।

**(vi) अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष सुविधाओं का उपयोग**

अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष सुविधा का बड़ी मात्रा में सतत उपयोग चल निधि के कमजोर प्रबंधन को इंगित करता है, जो खराब राजकोषीय प्रबंधन की ओर ले जाता है तथा अल्पकालिक ऋण धारणीयता में बाधा उत्पन्न होती है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष जैसी चल नकदी सहायता लेने के अवसरों की संख्या की आवृत्ति 16 से 70 अवसरों के मध्य रही परन्तु वर्ष 2023-24 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में गिरावट आई, जो चालू वर्ष में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन का परिचायक है। यह घटती प्रवृत्ति चल नकदी प्रबंधन में सुधार एवं अल्पकालिक उधार पर कम निर्भरता को दर्शाती है, जिससे अल्पकालिक ऋण धारणीयता में वृद्धि होती है। ऐसी प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि राज्य की वित्तीय प्रबंधन पद्धतियों में सुधार हो रहा है जिससे अस्थायी वित्तीय सहायता साधनों पर निर्भरता कम हो रही है।

**(vii) राजकोषीय असंतुलन**

राजकोषीय असंतुलन का शून्य के बराबर होना दर्शाता है कि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा। जबकि धनात्मक राजकोषीय असंतुलन ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में गिरावट का और इसके विपरीत होने का संकेत देता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति प्राथमिक शेष के ऋणात्मक बने रहने से राजकोषीय असंतुलन में उतार-चढ़ाव रहा, जो राजकोषीय धारणीयता पर दबाव का संकेत देता है। शून्य या धनात्मक राजकोषीय असंतुलन स्थिर ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को इंगित करेगा परन्तु इस अवधि में ऋणात्मक प्राथमिक शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात से तात्पर्य है कि संतुलित राजकोषीय स्थिति प्राप्त करने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। धनात्मक राजकोषीय असंतुलन बनाए रखने से ऋण धारणीयता में सकारात्मक योगदान मिलेगा।

**(viii) डोमार मानदंड**

डोमार मानदंड के अनुसार वर्ष 2019-2024 के दौरान औसत वास्तविक वृद्धि औसत वास्तविक ब्याज दर से अधिक रही, जिससे वृद्धि-ब्याज अंतर अनुकूल बना रहा जिससे राज्य को उधार की लागत काबू करने में सहायता मिली। वास्तविक वृद्धि से प्रेरित सामान्य वृद्धि के विपरीत उपभोक्ता मूल्य सूची द्वारा मापी गई औसत मुद्रास्फीति, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंडविड्थ की 2-6 प्रतिशत की ऊपरी सहनीय सीमा में रही, ने राज्य को वास्तविक ब्याज दर को वास्तविक वृद्धि से नीचे रखने तथा वृद्धि-ब्याज अंतर (ग्रोथ इंटररेस्ट डिफरेंशियल) को अनुकूल बनाए रखने में सहायता की।

इस प्रकार, ऋण धारणीयता विश्लेषण दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात वित्तायोग/राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा या सांकेतिक ऋण पथ से उच्चतर बना हुआ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति राज्य के ऋण अनुपात में गिरावट, जिसमें वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, परिचायक है कि ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को स्थिर रखने

एवं वित्तायोग/राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित ऋण सीमा के अनुरूप इसे बनाए रखने के लिए राज्य को मितव्ययिता उपाय करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं परिणामों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य के वित्त में देयताओं में बढ़ती प्रवृत्ति चिह्नित होती है, जो ऋण धारणीयता एवं ऋण स्थिरता के लक्ष्य के लिए जोखिम उत्पन्न करती है।

(ख) हिमाचल प्रदेश-राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियों का विवरण तालिका 2.40 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.40: हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां

राजकोषीय मापदंड		हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियां				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटा (-) /अधिशेष (+)	ल	राजस्व अधिशेष बनाए रखना है।				
(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	उ	0.01	-0.06	0.65	-3.30	-2.68
राजकोषीय घाटा (-) /अधिशेष (+)	ल	3 या कम			6 या कम	3.50 या कम
(सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	उ	-3.52	-3.76	-3.05	-6.46	-5.43
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात <sup>@</sup>	ल	34.04	33.62	40.26	40.49	38.98
(प्रतिशत में) <sup>\$</sup>	उ	39.09	44.30*	40.15*	42.86*	43.98*
गत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के संदर्भ में गारंटी	ल	पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत।				
	उ	6.29	6.97	5.64	4.77	4.58

<sup>@</sup> कुल बकाया ऋण में लोक ऋण व अन्य (लोक लेखा) देयताएं शामिल हैं।

\* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ एवं वर्ष 2020-22 से 2023-24 के दौरान प्राप्त ₹ 4,412.22 करोड़ को छोड़कर गणना की गई क्योंकि क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य सरकार के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

\$ सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण के अनुपात की तुलना मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों से की गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किए (2011 के बाद 2023 तक, जब संशोधन किए गए)।

ल- लक्ष्य, उ- उपलब्धि

वर्ष 2015-16 से लगातार राजस्व अधिशेष उत्पन्न करने के पश्चात् राज्य ने वर्ष 2020-21 में ऋणात्मक राजस्व शेष (राजस्व घाटा) दर्ज किया तथा वर्ष 2022-2024 के दौरान उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग तीन प्रतिशत राजस्व घाटा बना रहा, जो दर्शाता है कि उधार का उपयोग विकासोन्मुख खर्च पर न करते हुए बड़े पैमाने पर राज्य के आवर्ती व्यय को वित्तपोषित करने में किया गया। विगत दो वर्षों में राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.30 प्रतिशत (2022-23) व 2.68 प्रतिशत (2023-24) के उच्च स्तर पर रहा जबकि इसी अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 6.46 प्रतिशत व 5.43 प्रतिशत पर रहा।

राज्य वर्ष 2019-20 हेतु 14वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित सांकेतिक ऋण पथ के भीतर समग्र देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को बनाए रख सका परन्तु वर्ष 2021-2024 के दौरान 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित उसी लक्ष्य का उल्लंघन किया। इसी भांति उसने वर्ष 2021-22 के अतिरिक्त राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत दी गई कुल बकाया ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की सीमा का उल्लंघन किया। राजकोषीय संकेतकों के चरणों का लगातार उल्लंघन करने से राजकोषीय स्थिति अनियंत्रित होने का जोखिम हो सकता है, विशेष रूप से तब जब राज्य सरकार का आरक्षित निधियों जैसे प्रत्याभूत विमोच्य निधि, अंतर्निहित सब्सिडी का भुगतान आदि में अंशदान शेष हो।

राजकोषीय धारणीयता एवं डोमार मॉडल विश्लेषण (तालिका 2.39) के आधार पर अनुमानित है कि जब तक व्यय को युक्तिसंगत बनाने, अतिरिक्त स्रोतों की खोज करने, राजस्व आधार का विस्तार करने एवं राजस्व उपार्जित करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश के उपचारात्मक उपाय नहीं किए जाते, राज्य की राजकोषीय धारणीयता में अल्प से मध्यम अवधि में जोखिम है।

### 2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का आदर्श उपयोग पूंजी सृजन एवं विकासात्मक गतिविधियों में होना चाहिए। उधार ली गई निधियों का वर्तमान खपत की पूर्ति में तथा बकाया ऋणों के ब्याज भुगतान में उपयोग करना धारणीय नहीं है। विगत पांच वर्षों के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका 2.41 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.41: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	कुल उधार	10,847.39	15,032.21 <sup>\$</sup>	6,639.75 <sup>\$</sup>	22,371.82	14,901.51
2	पूर्व उधारों की चुकौती (मूलधन)	6,700.75 (61.77)	11,141.04 (74.11)	4,387.28 (66.08)	10,135.80 (45.31)	7,895.87 (52.99)
3	निवल पूंजीगत व्यय*	4,146.64 (38.23)	3,891.17 (25.89)	2,252.47 (33.92)	6,016.30 (26.89)	5,627.59 (37.76)
4	संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम	--	--	--	110.57 (0.49)	106.95 (0.72)
5	राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग {1-(2+3+4)}	--	--	--	6,109.16 (27.31)	1271.10 (8.53)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल उधार के संदर्भ में प्रतिशत दर्शाते हैं।

<sup>\$</sup> वस्तु व सेवा कर गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 2,695.22 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं किया गया है।

\* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियां

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

विगत तीन वर्षों की अवधि पश्चात् वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान उधार ली गई निधियों के 62 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के मध्य का उपयोग मुख्यतः पिछले उधारों (मूलधन) की अदायगी

हेतु तथा 26 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के मध्य का पूंजीगत व्यय हेतु किया गया। परन्तु वर्ष 2022-23 से पिछले दायित्वों की अदायगी घट कर वर्ष 2022-23 में 45 प्रतिशत एवं वर्ष 2023-24 में 53 प्रतिशत हो गया।


वित्तायोग के अनुसार राज्यों को राजस्व घाटा कम करके अंततः समाप्त करने तथा सभी उधारों को पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 तक ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया। परन्तु वर्ष 2022-23, जो 15वें वित्त आयोग की अवधि का तीसरा वर्ष है, में सार्वजनिक उधार के बड़े भाग अर्थात् 27.31 प्रतिशत (₹ 6,109.16 करोड़) एवं वर्ष 2023-24 में 8.53 प्रतिशत (₹ 1,271.10 करोड़) का उपयोग मौजूदा व्यय की पूर्ति हेतु किया गया।

जैसाकि देखा जा सकता है, वर्ष 2021-2023 के दौरान पूंजीगत परिव्यय ₹ 6,029 करोड़ पर स्थिर रहा और फिर वर्ष 2023-24 में घटकर ₹ 5,630 करोड़ हो गया, जिससे वर्ष 2022-23 के ₹ 32,504 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 30,965 करोड़ तक संकुचन (गत वर्षों की तुलना में विकास व्यय में 4.7 प्रतिशत) हुआ (परिशिष्ट 2.1)। विकास व्यय में हुई 4.7 प्रतिशत की गिरावट मुख्य रूप से आर्थिक क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में कटौती के कारण हुई, जिसने विकास व्यय में देखी गई ऋणात्मक वृद्धि में क्रमशः 3.8 प्रतिशत अंक व लगभग एक प्रतिशत अंक का योगदान दिया।

वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति चार्ट 2.25 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.25: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत में)



राज्य सरकार को राजस्व घाटा घटाने हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि उधार ली गई निधियों का उपयोग विकास गतिविधियों एवं परिसंपत्तियों के सृजन में किया जा सके।

### 2.7.2 गारंटी (प्रत्याभूति)-आकस्मिक देयताओं की स्थिति

गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं हैं, जो उधारकर्ताओं, जिन्हें गारंटियां दी गई हैं, से चूक होने की स्थिति में उत्पन्न होती हैं। वित्त लेखाओं के विवरणी-9 व 20 के अनुसार राज्य द्वारा दी गई अधिकतम राशि की गारंटी एवं पिछले पांच वर्षों में बकाया गारंटी तालिका 2.42 में दी गई है। 31 मार्च 2024 की समाप्ति पर राज्य सरकार से गारंटी प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं/निकायों का विवरण चार्ट 2.26 में दिया गया है।


तालिका 2.42: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
गारंटी की बकाया राशि	1,947.07	2,141.76	1,884.61	1,780.64	1,744.81
वर्ष के दौरान वृद्धि	639.70	418.03	289.46	643.61	731.09
वर्ष के दौरान विलोपन	3,001.84*	165.60	283.09	747.58	766.91
वर्ष के दौरान लागू	--	--	--	--	--
ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	गत वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत।				
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति से गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	6.29	6.97	5.64	4.77	4.58

\* इसमें वर्ष 2019-20 के वित्त लेखाओं से हटाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कोम को ऋण) एवं ₹ 13.18 करोड़ (गारंटीकृत राशि पर प्रभारित ब्याज) की राशि को शामिल किया गया है क्योंकि जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, यह विगत वर्षों के वित्त लेखाओं में अनजाने में शामिल कर दी गई थी। वर्ष 2019-20 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं की विवरणी संख्या 20 में इसे दर्शाया गया है।

चार्ट 2.26: 31 मार्च 2024 के अंत तक गारंटी प्राप्त करने वाले निकाय (₹ करोड़ में)



वर्ष 2023-24 के दौरान कोई गारंटी लागू नहीं की गई। वित्त लेखों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक बकाया गारंटी राशि ₹ 1,744.81 करोड़ थी। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार द्वारा

गारंटी के रूप में विभिन्न निकायों को कुल ₹ 731.09 करोड़ की राशि दी गई। वर्ष के दौरान राज्य सरकार की गारंटी के मुख्य प्राप्तकर्ता हिमाचल प्रदेश विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 514.28 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड (₹ 95.21 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश सड़क एवं परिवहन निगम (₹ 88.90 करोड़) थे। वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर गारंटी की बकाया राशि (₹1,744.81 करोड़) राज्य की विगत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.58 प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 एवं सरकारी निर्देशों (6 मार्च 1992) के अनुसार गारंटी के अनुमोदन के समय उधारकर्ताओं से गारंटी शुल्क (एक प्रतिशत) व प्रतिबद्धता प्रभार (0.2 प्रतिशत) लगाया जाना है। राज्य सरकार के पास निकायों/संस्थाओं से देय गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की प्राप्त होने योग्य राशि की जानकारी नहीं थी। विगत 10 वर्षों में (2018-19 तक) राज्य सरकार ने कोई गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार प्राप्त/उद्ग्रहित नहीं किया। हालांकि गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में ₹ 0.72 लाख (2019-20 में), ₹ 2.16 करोड़ (2020-21 में), ₹ 3.00 करोड़ (2021-22 में) एवं वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 3.31 करोड़ राशि प्राप्त हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान कोई गारंटी शुल्क/प्रतिबद्धता प्रभार प्राप्त नहीं हुआ।

### 2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन न्यूनतम अनुमत से शेष कम हो जाता है तो यह कमी समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। राज्य सरकार की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 17 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक ₹ 880 करोड़ और 1 अप्रैल 2022 से ₹ 656 करोड़ नियत है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी देती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार 324 दिनों तक न्यूनतम दैनिक नकदी शेष बनाए रख सकी। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से 36 अवसरों पर कुल ₹ 3,504.59 करोड़ का साधारण/विशेष अर्थोपाय अग्रिम एवं पांच अवसरों पर ₹ 875.78 करोड़ का अधिविकर्ष लेना पड़ा, जिसे वर्ष के दौरान चुका दिया गया। वर्ष 2023-24 के अंत तक कोई बकाया अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष नहीं थे। इनके सापेक्ष वर्ष के दौरान ₹ 2.51 करोड़ की राशि ब्याज के रूप में

अदा की गई। तालिका 2.43 वर्ष के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष एवं इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.43: नकद शेष एवं उसके निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 तक अथ शेष	31 मार्च 2024 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
<b>(क) सामान्य नकद शेष</b>			
कोषागारों में नकद	0	0	0
स्थानीय पारगमन में प्रेषण	0	0	0
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	-89.33	42.44	131.77
<b>कुल</b>	<b>-89.33</b>	<b>42.44</b>	<b>131.77</b>
नकद शेष निवेश लेखा में रखा गया निवेश	3,645.18	1,457.81	-2,187.37
<b>योग (क)</b>	<b>3,555.85</b>	<b>1,500.25</b>	<b>-2,055.60</b>
<b>(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश</b>			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट के पास नकद	0.16	0.16	0
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थाई अग्रिम	0.03	0.03	0
निर्धारित निधियों का निवेश	0	0	0
<b>योग (ख)</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>	<b>0</b>
<b>योग (क+ख)</b>	<b>3,556.04</b>	<b>1,500.44</b>	<b>-2,055.60</b>

वर्ष के अंत में राज्य सरकार का नकद शेष वर्ष 2022-23 के ₹ 3,556.04 करोड़ से ₹ 2,055.60 करोड़ घटकर वर्ष 2023-24 में ₹ 1,500.44 करोड़ हो गया। नकद शेष से किए गए निवेश भी ₹ 3,645.18 करोड़ से घटकर ₹ 1,457.81 करोड़ हो गए।

राज्य सरकार उसके अधिशेष नकद शेष को भारत सरकार की अल्प एवं दीर्घकालिक प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेशों से प्राप्त लाभ को '0049-ब्याज प्राप्तियां' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश तालिका-2.44 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.44: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / गिरावट (-)	अर्जित ब्याज
2019-20	102.09	982.06	879.97	55.02
2020-21	982.06	1,696.09	714.03	31.88
2021-22	1,696.09	2,568.08	871.99	55.50
2022-23	2,568.08	3,645.18	1,077.10	20.91
2023-24	3,645.18	1,457.81	-2,187.37	21.43


स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के नकदी शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण दर्शाता है कि नकद शेष निवेश लेखा की शेष राशि में वर्ष 2019-23 के दौरान वृद्धि हुई एवं वर्ष 2023-24 में इसमें गत वर्ष की तुलना में गिरावट हुई।

वर्ष की समाप्ति पर भारी नकद शेष का होना राज्य सरकार द्वारा नकद का इष्टतम प्रबंधन न करने का परिचायक है, जिसने भारी नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋण लिया एवं उसका लाभकारी उपयोग नहीं किया गया।


चार्ट 2.27 वर्ष 2019-24 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिए गए बाजार ऋण एवं नकद शेष की तुलना प्रस्तुत करता है। बाजारी ऋण उच्च ब्याज दरों पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश कम ब्याज दरों पर किए गए थे।

चार्ट 2.27: बाजारी ऋण की तुलना में नकद शेष



चार्ट 2.28 वर्ष 2023-24 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा एवं नकद शेष की माह-वार तुलना प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.28: 2023-24 के दौरान निवल नकद शेष निवेशों एवं नकद शेष की माह-वार गतिविधियां



स्रोत: मासिक सिविल लेखे

## 2.8 प्रमुख विशेषताएं

घाटा संकेतक, राजस्व आवर्धन एवं व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आंकने के प्रमुख मानदंड हैं। विगत वर्ष अर्थात् 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के वित्त के प्रमुख मापदंड तालिका 2.45 में सारांशित किए गए हैं।

तालिका 2.45: मुख्य मानदंड

सकारात्मक संकेतक	वे मापदंड जिस पर कठोरता से ध्यान दिया जाना आवश्यक है
↑ कर प्राप्तियों में 11.70 प्रतिशत की वृद्धि	↓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान में 10.71 प्रतिशत की गिरावट
↑ संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश में 18.91 प्रतिशत की वृद्धि	↓ पूंजीगत व्यय में 6.62 प्रतिशत की गिरावट
↓ लोक ऋण प्राप्तियों में 33.39 प्रतिशत की गिरावट	↓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.65 प्रतिशत की गिरावट
	↑ 2022-23 व 2023-24 के दौरान राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा।

## 2.9 निष्कर्ष

वर्ष 2015-16 से लगातार राजस्व अधिशेष उत्पन्न करने के बाद राज्य ने वर्ष 2020-21 में ऋणात्मक राजस्व शेष (राजस्व घाटा) दर्ज किया तथा वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान उसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लगभग तीन प्रतिशत के आसपास राजस्व घाटा बना रहा। यह राजकोषीय घाटे के 50 प्रतिशत से अधिक है, जो दर्शाता है कि उधार का उपयोग विकासोन्मुख खर्च पर ना करते हुए बड़े पैमाने पर राज्य के आवर्ती व्यय के वित्तपोषण के लिए किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा ₹ 11,266 करोड़ था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.43 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः बाजार उधार के माध्यम से किया गया।

विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,083.54 करोड़ (2.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय ₹ 306.37 करोड़ (0.69 प्रतिशत) बढ़ गया। इसके अतिरिक्त राज्य के स्व-राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 11.70 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

राज्य ने कुल राजस्व व्यय का 68 प्रतिशत वेतन व मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान जैसी प्रतिबद्ध देयताओं पर खर्च किया जिससे प्राथमिकता क्षेत्र के व्यय हेतु मात्र 32 प्रतिशत ही शेष रहा।

सब्सिडी राजस्व व्यय का 3-4 प्रतिशत रही। कुल सब्सिडी में विद्युत सब्सिडी का भाग सबसे बड़ा था। वर्ष 2023-24 के दौरान सब्सिडी ने राजस्व घाटे में 32 प्रतिशत का योगदान दिया।

31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों एवं सहकारी समितियों में उसके कुल निवेश (₹ 5,524.23 करोड़) पर 3.46 प्रतिशत का प्रतिफल अर्जित किया।

वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकार ने बकाया ऋणों पर ब्याज के रूप में ₹ 48 करोड़ (0.60 प्रतिशत) प्राप्त किए जबकि उसने बकाया ऋण पर 6.87 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया।

लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं सहित कुल बकाया देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 43.98 प्रतिशत थीं। विगत वर्ष की तुलना में कुल देयताएं 11 प्रतिशत बढ़ गईं।

31 मार्च 2024 तक पूर्ण होने को निर्धारित 51 परियोजनाएं अपूर्ण थीं। इन अपूर्ण परियोजनाओं पर किए गए ₹ 858.17 करोड़ के व्यय से अभी तक अभीष्ट लाभ नहीं मिल पाया।

## 2.10 अनुशासन

1. राज्य सरकार उसके स्व-राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करें। वह बेहतर संसाधन जुटाने हेतु लंबित कर दावों का समयबद्ध निपटान, कर आंकलन में बकाया का निपटान, राजस्व बकाया की वसूली एवं कर-भिन्न राजस्व में सुधार करें।
2. राज्य सरकार सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी बैंकों व समितियों पर किए निवेश के अपर्याप्त प्रतिफल के कारणों का आकलन करने एवं उपचारात्मक उपाय करें।
3. राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।